रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1836] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 22, 2018/ज्येष्ठ 1, 1940
No. 1836] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 22, 2018/JYAISTHA 1, 1940

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मई, 2018

का.आ.2031(अ).—अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारुप, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, और यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव देने का इच्छुक है, वह विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, अपनी आपत्ति या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को या ई-मेल esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकता है।

प्रारूप अधिसूचना

राजाजी राष्ट्रीय उद्यान देश के उत्तरी भाग में अक्षांश 29° 51'उ से 30°15' उ और देशांतर 77°52'पू से 77°22'पू के बीच स्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान शिवालिक पारिस्थितिकी प्रणाली का उत्कृष्ट प्रतिनिधित्व करता है। वैज्ञानिक संरक्षण का इसका इतिहास देश में सबसे पुराना है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के तीन जिलों अर्थात् देहरादून, पौड़ी गढ़वाल और हरिद्वार में शिवालिक पर्वत श्रृंखला में स्थित है जो हिमालय के दक्षिण में समानांतर जाती है। शिवालिक पहाड़ियों और इस क्षेत्र की समृद्ध जैव विविधता की सुरक्षा और संरक्षण की तात्कालिकता और आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, उत्तर प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 5440/XIV-3-84/76 दिनांक 12.8.1983 के द्वारा वर्ष 1983 में तीन अभयारण्य अर्थात् "राजाजी राष्ट्रीय उद्यान" विद्यमान हैं। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल **819.54** वर्ग किलोमीटर है और अक्षांश 29°51' उ-30°15' उ और देशांतर 77° 52' पू -77°22 पू के बीच स्थित है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्र उत्तराखंड के तीन जिलों में अर्थात् देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत आता है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान

को अंततः उत्तराखंड सरकार की अधिसूचना सं. 3807/X-2-2013-19(7) 2002 दिनांक 14 सितंबर, 2013 के द्वारा से अधिसूचित किया गया है।

और, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को अधिसूचना सं.130/X-2-2015-19(1)201, दिनांक 18 अप्रैल, 2015 द्वारा राजाजी बाघ रिजर्व घोषित किया गया। कुल **1075.17** वर्ग किलोमीटर क्षेत्र कोर राजाजी बाघ रिजर्व के रुप में घोषित किया गया है। कोर जोन में सम्पूर्ण राजाजी राष्ट्रीय उद्यान 819.54 वर्ग किलोमीटर है। बफर जोन का क्षेत्रफल 255.63 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें आरएनपी के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत एक आरक्षित वन खंड (बिजनी बीट), हरिद्वार वन संभाग के श्यामपुर श्रेणी का भाग और लैंसडाउन वन संभाग का लालढंग एवं कोटद्वार रेंज शामिल है।

और, राष्ट्रीय उद्यान में जीवजन्तुओं की विविधता है जिसमें स्तनधारियों की लगभग 23 प्रजातियां और पक्षियों की 315 प्रजातियां पाई जाती है। गंगा नदी ने दो अलग भागों में उद्यान का विभाजन किया: चिला और गोहरी रेंज का पूर्वी भाग लगभग 250 वर्ग किलोमीटर है और हरिद्वार, धौलखंड, बेरीवारा, चिलावाली, मोतीचूर, कंसारु और रामगढ़ रेंज का पश्चिमी भाग लगभग 569.54 वर्ग किलोमीटर है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के निर्माण के बाद से इसके संरक्षण की यात्रा बहुत चुनौतीपूर्ण रही है। उद्यान देहरादून, हरिद्वार और ऋषिकेश जैसे बड़े शहरों और कई छोटी और मध्यम मानव बस्तियों, औद्योगिक क्षेत्रों और व्यावसायिक संस्थानों जैसे समूह आवास, आश्रम, होटल और रिजाट्र्स से घिरा हुआ है। उद्यान से गुजरने वाले रेखीय संरचनाओं जैसे राष्ट्रीय राजमार्गों, रेलवे ट्रैक, बिजली और सिंचाई चैनलों ने वन्यजीव पर्यावास को विखंडित कर दिया है, जो संरक्षण के लिए और अधिक चुनौतीपूर्ण हो गया है।

और, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के देहरादून वन संभाग, लैंसडाउन वन संभाग, हरिद्वार वन संभाग, नरेंद्र नगर वन संभाग और शिवालिक वन संभाग से घिरा हुआ है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और इन वन संभागों के बीच कई वन्यजीव गलियारे विद्यमान हैं। कुछ प्रमुख वन्यजीव गलियारें कांसरू-बरकोट, चिला-मोतीचूर, मोतीचूर-गोहरी और रावासन-सोनादी लैंसडाउन वन संभाग से होते हुए जाते हैं। इस प्रकार, इन क्षेत्रों में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के आसपास के क्षेत्र को पारिस्थितिकी संवेदी जोन घोषित करने की जरुरत है।

और, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के आसपास पारिस्थितिकी-संवेदी जोन बनाने का मुख्य उद्देश्य कुछ प्रकार के शोक अवशोषक बनाना है जो कम सुरक्षा वाले क्षेत्रों में उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्रों से संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करे। पारिस्थितिकी संवेदी जोन के क्रियाकलाप मुख्य तथा नियामक प्रकृति के होगें। पारिस्थितिकी-संवेदी जोन बनाने का आशय स्थानीय समुदाय के दिन-प्रतिदिन के क्रियाकलापों को बाधित करना नहीं है बल्कि धारणीय विकास के माध्यम से जैव विविधता के संरक्षण को बढ़ावा देना है।

और, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा-1 में विनिर्दिष्ट हैं, पारिस्थितिकी, पर्यावरण और जैव विविधता की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों की श्रेणियों के प्रचालन तथा प्रसंस्करण को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की उपधारा (1) तथा धारा 3 की उपधारा (2) एवं उपधारा (3) के खंड (v) और खंड (xiv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, देहरादून में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और राजाजी बाघ रिर्जव, की सीमा के चारों ओर 10 किलोमीटर तक हरिद्वार और उत्तरप्रदेश के जिले के पौड़ी में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और राजाजी बाघ रिर्जव के रूप में विस्तारित क्षेत्र को पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमा**--(**1**) राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और राजाजी बाघ रिजर्व के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार शून्य से (अंतरराज्य सीमा के कारण) से 10 किलोमीटर तक फैला हुआ है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्रफल 372.18 वर्ग किलोमीटर है जिसमें वन भूमि 255.63 वर्ग किलोमीटर और गैर वन भूमि 116.55 वर्ग किलोमीटर है।

(2) राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और राजाजी बाघ रिजर्व की सीमा का वर्णन **उपाबंध I** में दिया गया है।

(**3**) अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण **उपाबंध II- क-घ** के रुप में संलग्न है। दून घाटी पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र **उपाबंध II- ङ** में है।

(4) राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के भू-निर्देशांक और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सारणी **क और ख** के **उपाबंध III** में दिया गया है।

(5) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध IV** के रुप में संलग्न है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना.–(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए, राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनार्थ एक आंचलिक महायोजना बनायेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रीति से तथा प्रासंगिक केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरूप तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों, यदि कोई हों, के अनुसार बनायी जाएगी ।

(3) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरण संबंधी सरोकारों को शामिल करने के लिए इसे राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से बनाया जाएगा, अर्थात्:--

(i) पर्यावरण;

(ii) शहरी विकास;

(iii) ग्रामीण विकास;

(iv) पर्यटन, कृषि;

(v) बागवानी;

(vi) लोक निर्माण;

(vii) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राजस्व आदि।

इस योजना को अंतिम रूप देने से पहले स्थानीय जन प्रतिनिधियों की सहमति भी प्राप्त की जाएगी।

(4) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, आंचलिक महायोजना में वर्तमान में अनुमोदित भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा तथा आचंलिक महायोजना में सभी अवसंरचनाओं और क्रियाकलापों में सुधार करके उन्हें अधिक दक्ष और पारिस्थितिकी-अनुकूल बनाने की व्यवस्था की जाएगी ।

(5) आंचलिक महायोजना में वनरहित और अवक्रमित क्षेत्रों की बहाली, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय जनता की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं की व्यवस्था की जाएगी जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

(6) आंचलिक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों एवं शहरी बस्तियों, वनों की श्रेणियों एवं किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, उद्यानों एवं उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, बागवानी क्षेत्रों, बगीचों, झीलों और अन्य जल निकायों की सीमा का निर्धारण किया जाएगा तथा सहायक मानचित्र भी दिया जाएगा। इस महायोजना में विद्यमान और प्रस्तावित भू- उपयोग की विशेषताओं का ब्यौरा देने वाले मानचित्र भी दिए जाएंगे।

(7) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में होने वाले विकास का विनियमन किया जाएगा और सारणी 4 में यथासूचीबद्ध प्रतिषिद्ध एवं विनियमित क्रियाकलापों का पालन किया जाएगा। इसमें स्थानीय जनता की आजीविका की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकी-अनुकूल विकास का भी सुनिश्चय एवं संवर्धन किया जाएगा।

(8) आंचलिक महायोजना, क्षेत्रीय विकास योजना की सह-कालिक होगी ।

(9) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को पारिस्थितिकी अनुकूल विकास और स्थानीय समुदायों की जीवकोपार्जन को सुनिश्चित करते हुए विनियमित होगी ।

(10) अनुमोदित आंचलिक महायोजना, निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी ताकि वह इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार निगरानी के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय-** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:--

(1) **भू-उपयोग –** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के लिए चिन्हित उद्यानों और खुले स्थानों का वृहद वाणिज्यिक या आवासीय परिसरों या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए प्रयोग या संपरिवर्तन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(ख) परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन, निगरानी समिति की सिफारिश पर और सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम तथा यथालागू केन्द्रीय/राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों के अधीन तथा इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ करना और नई सड़कों का संनिर्माण करना;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग,

(iv) कुटीर उद्योग एवं ग्राम उद्योग तथा पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक सुविधा भण्डार, स्थानीय सुविधाएं तथा ग्रह वास; और

(v) बढ़ावा दिए गए और पैरा-4 में उल्लिखित क्रियाकलाप।

(ग) परंतु यह भी कि क्षेत्रीय शहरी नियोजन अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना तथा राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों एवं संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों तथा तत्समय प्रवृत्त विधि, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी आता है, का अनुपालन किए बिना वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का प्रयोग अनुज्ञात नहीं होगा।

(घ) परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाली भूमि के अभिलेखों में हुई किसी त्रुटि को, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार सुधारा जाएगा और उक्त त्रुटि को सुधारने की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी ।

(ड.) परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि को सुधारने में, इस उप-पैरा में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन शामिल नहीं होगा ।

(च) अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण तथा पर्यावासों और जैव- विविधता की बहाली के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत-** आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनरुद्धार के लिए योजना शामिल की जाएगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों में या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे ।

(3) **पर्यटन/पारिस्थितिकी पर्यटन –** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन सम्बंधी पर्यटन महायोजना के अनुसार अनुज्ञात होगा ।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य सरकार के पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से पर्यटन विभाग द्वारा बनायी जाएगी ।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का घटक होगी ।

(घ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे:-

(i) राष्ट्रीय उद्यान/बाघ रिजर्व की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी होटल या रिजार्ट का नया सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। तथापि, पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए राष्ट्रीय उद्यान/बाघ रिजर्व की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक पूर्व परिभाषित और अभीहित क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार, नए होटलों और रिजार्टों की स्थापना अनुज्ञात की जाएगी।

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रिया-कलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार, केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों तथा पारिस्थितिकी पर्यटन पर बल देने वाले राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी दिशानिर्देशों (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार होगा ।

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन होने तक, पर्यटन के विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल-विशिष्ट संवीक्षा तथा निगरानी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए होटल/रिजार्ट या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान का संन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होगा ।

(4) **प्राकृतिक विरासत –** पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि जीन पूल रिजर्व क्षेत्र, शैल संरचना, जल प्रपात, झरने, दर्रे, उपवन, गुफाएं, स्थल, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपात आदि की पहचान की जाएगी और उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कलाकृति- क्षेत्रों तथा ऐतिहासिक, स्थापत्य संबधी, सौंदर्यात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण–** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन बनाए गए ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के अनुसार किया जाएगा ।

(7) **वायु प्रदूषण -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण का निवारण एवं नियंत्रण, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के उपबंधो और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार किया जाएगा ।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्रावों का निस्सारण, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अन्तर्गत शामिल किए गए पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण संबंधी साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों के अनुसार किया जाएगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट -**ठोस अपशिष्ट का निपटान एवं प्रबन्धन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), दिनांक 8 अप्रैल, 2016 के तहत प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा। अकार्बनिक पदार्थो का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रंबंधन अनुज्ञात किया जाएगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन-** जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(ख) पारिस्थितिकी संवदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रंबंधन अनुज्ञात किया जाएगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन:-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधो के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन:-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई–अपशिष्ट:-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित तथा समय- समय पर यथा संशोधित ई–अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **सड़क-यातायात:-** सड़क-यातायात को पर्यावास-अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध शामिल किए जाएंगे। आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित होने तक, निगरानी समिति प्रासंगिक अधिनियमों और उनके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार सड़क-यातायात के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(15) **वाहन जनित प्रदूषण:-** वाहन जनित प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा। स्वच्छतर ईंधन जैसे कि सीएनजी, एलपीजी आदि के प्रयोग के प्रयास किए जाएंगे ।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां:-** (i) सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को या उसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी।

(ii) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना अनुज्ञात होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों का संरक्षण:-** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जाएगा:

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जिनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी ।

(ख) जिन ढ़लानों या विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है उनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और तटीय विनियमन जोन (सीआरजेड), 2011 और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 के 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) के उपबंधों तथा उनमें किए गए संशोधनों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित होंगे, अर्थात्:--

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	विवरण
(1)	(2)	(3)
	क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन ।	(क) स्थानीय निवासियों की वास्तविक घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किए जाने वाले क्रियाकलापों, जिनमें घरों के निर्माण या मरम्मत और मकान बनाने एवं अन्य क्रियाकलापों के लिए देशी टाइलें या ईटें बनाने हेतु जमीन की खुदाई शामिल है, को छोडकर सभी नई और वर्तमान (लघु एवं वृहद खनिज) पत्थर खोदने एवं तोडने वाली ईकाइयां तत्काल प्रभाव से निषिद्ध की जाती हैं ; (ख) खनन क्रियाकलाप, टी.एन. गोदावर्मन थिरूमलपाद बनाम भारत संघ के मामले में वर्ष 1995 की रिट याचिका (सिविल) सं 202 में दिनांक 4 अगस्त, 2006 तथा गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में वर्ष 2012 की रिट याचिका(सिविल) सं. 435 में दिनांक 21 अप्रैल, 2014 के माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार किए जाएंगे।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि आदि) उत्पन्न करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में नए उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुज्ञा नहीं होगी। जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना अनुज्ञात होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को

		प्रोत्साहन दिया जाएगा।
3.	बड़ी ताप एवं जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का प्रयोग या उत्पादन या प्रस्संकरण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्रावों का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में नई आरा मिलों की स्थापना और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
7.	ईंट भट्ठों की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
ख. विनियमित क्रियाकलाप		
8.	होटलों और रिजॉर्टों की वाणिज्यिक स्थापना ।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों हेतु लघु अस्थायी संरचनाओं के निर्माण के सिवाय, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, नए वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टो की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी। परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर बाहर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप करने या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना और लागू दिशानिर्देशों के अनुसार होगा।
9.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी भी प्रकार के नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी: (ख) परंतु स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने प्रयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी :- (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ करना और नई सड़कों का संनिर्माण करना; (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण करना; (iii) फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किए गए वर्गीकरण के अनुसार गैर- प्रदूषणकारी लघु उद्योगों की स्थापना; (iv) ग्रामीण उद्योगों सहित कुटीर उद्योगों, सुविधा भण्डारों और ग्रह वास सहित पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक स्थानीय सुविधाओं की व्यवस्था; और

		(v) इस अधिसूचना में सूचीबद्ध बढ़ावा दिए गए क्रियाकलाप । (ख) परन्तु गैर–प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे । (ग) एक किलोमीटर क्षेत्र से आगे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे ।
10.	गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों तथा पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्रियों से उत्पाद बनाने वाले परिसंकटमय लघु और सेवा उद्योगों, कृषि, पुष्प कृषि, बागबानी या कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होगी।
11.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई की अनुज्ञा नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई केंद्रीय या संबंधित राज्य के अधिनियमों और उनके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी ।
12.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों (एनटीएफपी) का संग्रह ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
13.	विद्युत और संचार टॉवर लगाने, तार-बिछाने तथा अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा । भूमिगत केबल बिछाने को बढ़ावा दिया जाएगा।
14.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचे की व्यवस्था।	यह व्यवस्था लागू विधियों, नियमों, विनियमों और मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार उपशमन उपायों के साथ की जाएगी।
15.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ बनाना और नई सड़कों का निर्माण करना।	ये कार्य लागू विधियों, नियमों, विनियमों और मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार उपशमन उपायों के साथ किये जाएंगे।
16.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से गर्म वायु के गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स उड़ाना आदि।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
17.	पहाड़ी ढलानों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
18.	रात्रि में सड़क यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होगा ।
19.	स्थानीय जनता द्वारा अपनायी जा रही वर्तमान कृषि और बागवानी पद्धतियों के साथ डेयरियां, दुग्ध उत्पादन, जल कृषि और मत्स्य पालन।	स्थानीय जनता के प्रयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे।
20.	फर्मों, कारपोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।

	फार्मों की स्थापना ।	
21.	प्राकृतिक जल निकायों या भू क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव का निस्सारण ।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव के निस्सारण से बचा जाएगा। उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुन:उपयोग के प्रयास किए जाएंगे अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
22.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक प्रयोग एवं निष्कर्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
23.	कृषि या अन्य प्रयोग के लिए खुले कुएं/ बोर कुएं आदि का निर्माण ।	समुचित प्राधिकारी द्वारा विनियमित किया जाएगा तथा क्रियाकलाप की सख्त निगरानी की जाएगी।
24.	ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
25.	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
26.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
27.	प्लास्टिक के थैलों का प्रयोग।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर पॉलिथीन बैग के उपयोग की अनुमति होगी परन्तु यह विशिष्ट आवश्यकता के आधार पर लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
28.	वाणिज्यिक संकेत बोर्ड और होर्डिंग का प्रयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
	ग. संवर्धित क्रियाकलाप	
29.	वर्षा जल संचय ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
30.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
31.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
32.	ग्रामीण कारीगरी सहित कुटीर उद्योग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
33.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का प्रयोग ।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को सक्रिय बढ़ावा दिया जाएगा।
34.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
35.	बागबानी और औषधीय पौधों का रोपण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
36.	पारिस्थितिकी अनुकूल यातायात का प्रयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
37.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
38.	अवक्रमित भूमि/वनों/ पर्यावासों की बहाली ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
39.	पर्यावरण के प्रति जागरुकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

5. निगरानी समिति- केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पारिस्थितिकी संवेदी जोन की प्रभावी निगरानी के लिए एक मानीटरी समिति गठित करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:--

1.	आयुक्त गढ़वाल	अध्यक्ष;
2.	निदेशक राजाजी राष्ट्रीय उद्यान	सदस्य;
3.	जिलाधिकारी देहरादून/हरिद्वार/पौड़ी	सदस्य;
4.	वन्यजीव वार्डन राजाजी बाघ रिजर्व	सदस्य;
5.	उत्तराखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून का प्रतिनिधि	सदस्य;
6.	मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण का एक प्रतिनिधि	सदस्य;
7.	गैर-सरकारी संगठनों (विरासत संरक्षण सहित पर्यावरण के क्षेत्र में सक्रिय) का एक प्रतिनिधि, जिसे राज्य सरकार द्वारा नामित किया जायेगा	सदस्य;
8.	राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाने वाला जैव विविधता का एक विशेषज्ञ	सदस्य;
9.	राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाने वाला पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण क्षेत्र का एक विशेषज्ञ	सदस्य;
10.	वन उपसंरक्षक/उप निदेशक राजाजी राष्ट्रीय उद्यान	सदस्य सचिव।

6.विचारार्थ विषय:-

(1) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(2) निगरानी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या राज्य सरकार द्वारा नई समिति का पुनर्गठन किए जाने तक होगा और इसके बाद निगरानी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।

(3) निगरानी समिति वास्तविक विशिष्ट दशाओं के आधार पर उन क्रियाकलापों की संवीक्षा करेगी जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अनुसूची और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्तर्गत आते हैं। इनमें वे क्रियाकलाप शामिल नहीं हैं जो इस अधिसूचना के पैरा 4 में दी गई सारणी में यथा विनिर्दिष्ट हैं तथा जिन्हे केन्द्र सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के लिए भेजा गया है।

(4) वे क्रियाकलाप, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची के अंतर्गत नहीं आते हैं, परन्तु जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंर्तगत आते हैं, उनकी, इस अधिसूचना के पैरा-4 में दी गई सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, वास्तविक स्थल विशिष्ट दशाओं के आधार पर, निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जायेगी और उन्हें संबंधित विनियामक प्राधिकरणों को भेजा जायेगा।

(5) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबंधित आयुक्त या संबंधित कार्य प्रभारी इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले किसी व्यक्ति के विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने के लिए सक्षम होगा ।

(6) निगरानी समिति संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों या संबंधित पक्षों को प्रत्येक मामले में आवश्यकता अनुसार अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में मुख्य वन्यजीव वार्डन को, **उपाबंध IV** में दिए गए प्रपत्र के अनुसार, उस वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे ।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी ।

8. इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्यधीन होंगे ।

[फा.सं. 25/48/2017-ईएसजेड]

ललित कपूर, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध ।

राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की सीमा का विवरण

उत्तरी सीमा: अशरोरही, मोहम्दपुर, मोहाबेवाला की बाहरी पूर्वी सीमा, फन्दोवाला, बलिन्दावाला, अमसोत, झबरावाला, बहेरा और बनबाहा 4 की कम्पार्टमेंट सं. 6 के साथ अशरोरही रिजर्व खण्ड की स्तम्भ सं. 34 से आरम्भ होती है, और गंगा नदी के कम्पार्टमेंट सं. 2 के रायवाला और सुसवा रिजर्व वन की बाहरी उत्तरी सीमा के साथ जाती है; इसके बाद गोहरी श्रेणी की सीमा कन्थावाला, मझारा की पश्चिमी बाहरी सीमा के साथ और जोंक चक तक गंगा नदी के तट के साथ जाती है; इसके बाद जोंक तट और बिदासनी वन खण्ड की सीमा के साथ जाती है और इसके बाद नदी के मध्य के साथ बिदासनी कम्पार्टमेंट सं. 1 में स्तम्भ सं. 1 जाती है।

पूर्वी सीमा: गंगा के तट के कम्पार्टमेंट सं. 1 बिदासनी के स्तम्भ सं. 1 से आरंभ होती है, बिधासनी, दुगाद्दा, अमगाद्दी, लुनी के रिजर्व वन खण्ड की बाहरी पूर्वी सीमा और रवासन रिजर्व वन खण्ड के कम्पार्टमेंट संख्याओं 1,6,7,5,2, और 3 की बाहरी सीमाओं के साथ मुड़कर और बिंदु की ओर जाती है जहाँ रवासन नदी कोटद्वार-चिला वन मोटर सड़क को पार करती है।

दक्षिणी सीमा: उस बिंदु से आरंभ होती है जहाँ रवासन नदी कोटद्वार-चिला वन मोटर सड़क को पार करती है, चांदी घाट के लुनी, मुण्डल और हज़ारा के रिजर्व वन खण्डों की दक्षिणी बाहरी सीमा के साथ जाती है; इसके बाद दुधिया रिजर्व वन खण्ड की वन सीमा स्तम्भ सं. 7 के गंगा नदी के साथ और इसके बाद दुधिया खण्ड की दक्षिणी और पश्चिमी बाहरी सीमा के साथ और हरीपुर कलन रिजर्व वन खण्ड की दक्षिणी सीमा के साथ उत्तर की ओर मुड़ती है जहाँ यह खरखरी रिजर्व वन खण्ड की बाहरी सीमा, मायापुर, रानीपुर, रवली, चिर्राक, हरनोल, घोलना, तीरा (तीरा तुंगया व्यवस्था को छोड़कर), सेनधली, रसुलपुर (रसुलपुर तुंगया व्यवस्था को छोड़कर), गंजारवन, तकरकोट, बनियावाला, और ललवाला की रिजर्व वन खण्डों की बाहरी सीमा वन सीमा स्तम्भ सं. 635 पर समाप्त होती है।

पश्चिमी सीमा: ललवाला वन खण्ड की वन सीमा स्तम्भ सं. 635 से आरंभ होकर उत्तराखण्ड और उत्तर प्रदेश की अंतरराज्य सीमा के साथ उत्तर की ओर मुड़ती है, यह राष्ट्रीय राजमार्ग 72क तक मिलती है; इसके बाद राजमार्ग के साथ शिवालिक श्रेणी तक जाती है; इसके बाद अशरोरही रिजर्व वन खण्ड के बाहरी सीमा के साथ स्तम्भ सं. 24 तक जाती है; इसके बाद अशरोरही कम्पार्टमेंट सं. 5क और 5ख की सीमा के साथ स्तम्भ सं. 34 तक जाती है।

उपाबंध ।।क

उत्तराखण्ड में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का स्थानिक मानचित्र

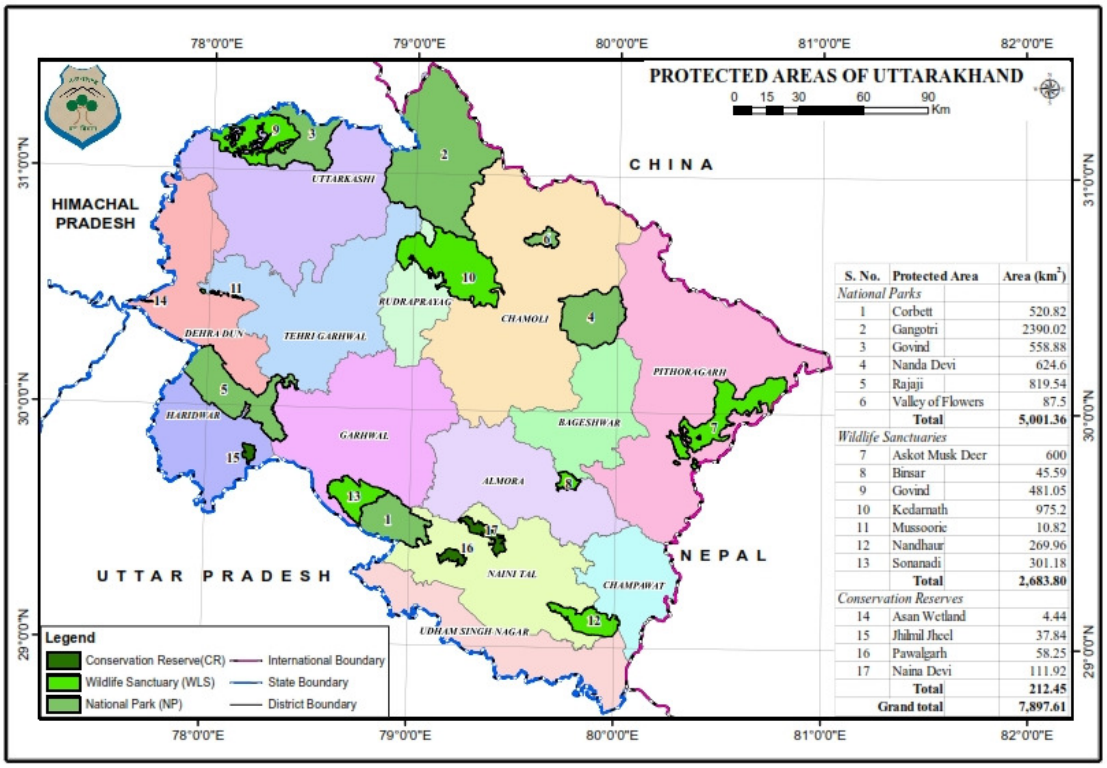

S. No.	Protected Area	Area (km²)
National Parks		
1	Corbett	520.82
2	Gangotri	2390.02
3	Govind	558.88
4	Nanda Devi	624.6
5	Rajaji	819.54
6	Valley of Flowers	87.5
	Total	**5,001.36**
Wildlife Sanctuaries		
7	Askot Musk Deer	600
8	Binsar	45.59
9	Govind	481.05
10	Kedarnath	975.2
11	Mussoorie	10.82
12	Nandhaur	269.96
13	Sonanadi	301.18
	Total	**2,683.80**
Conservation Reserves		
14	Asan Wetland	4.44
15	Jhilmil Jheel	37.84
16	Pawalgarh	58.25
17	Naina Devi	111.92
	Total	**212.45**
	Grand total	**7,897.61**

उपाबंध -।।ख

मुख्य स्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का गूगल चित्र

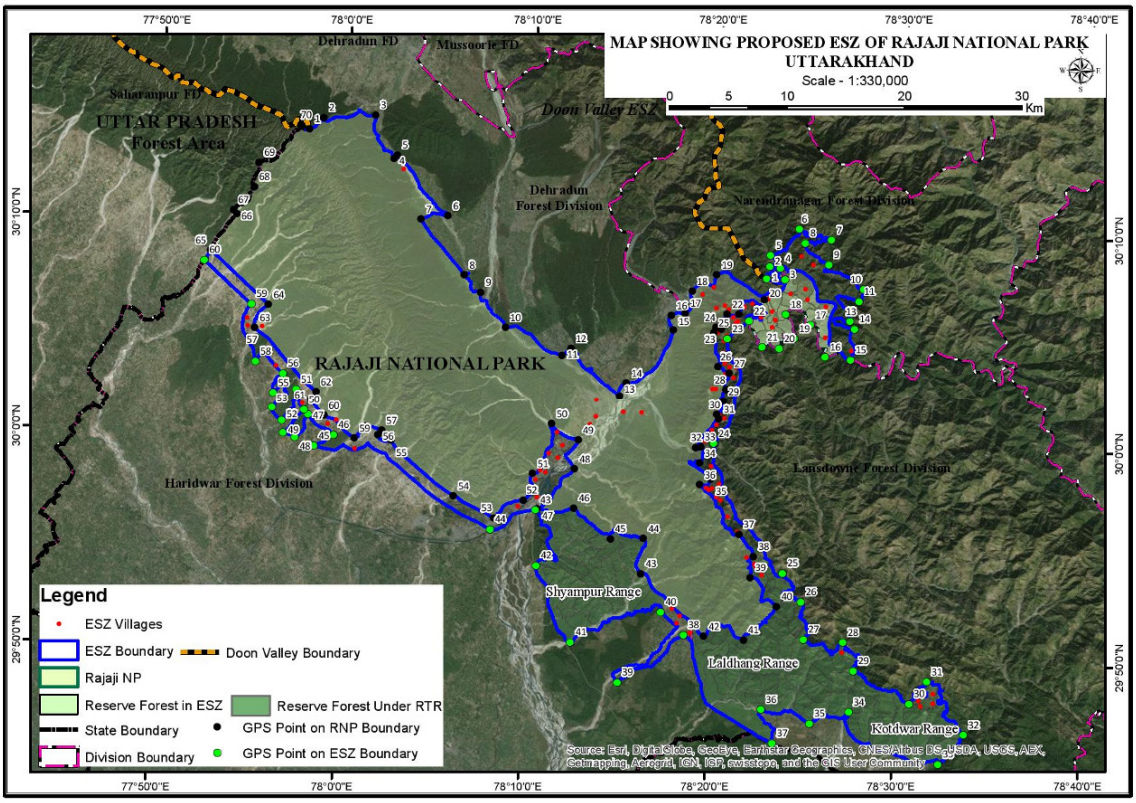

उपाबंध -III ग

मुख्य स्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र

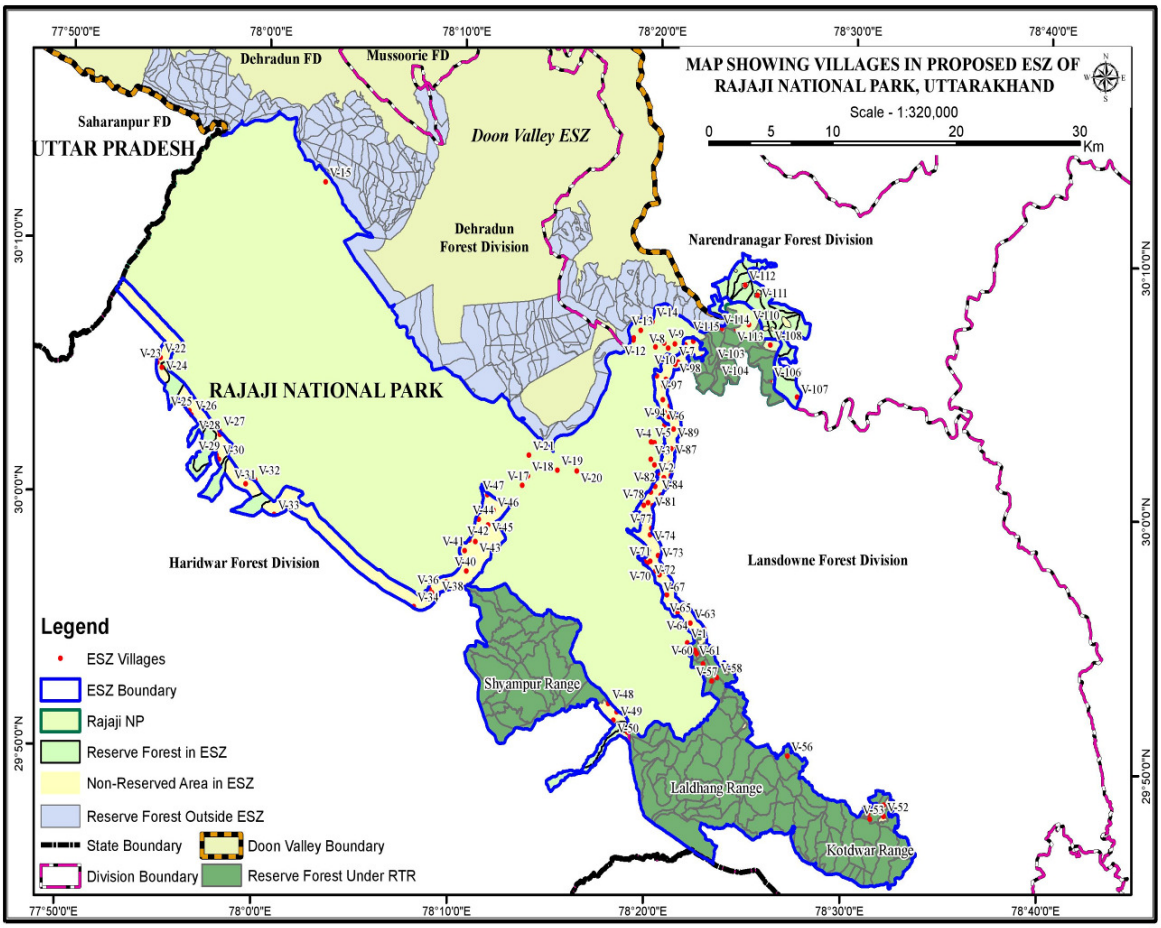

उपाबंध -IIघ

भारतीय के सर्वेक्षण (एस ओ आई) टोपोशीट पर मुख्य स्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र

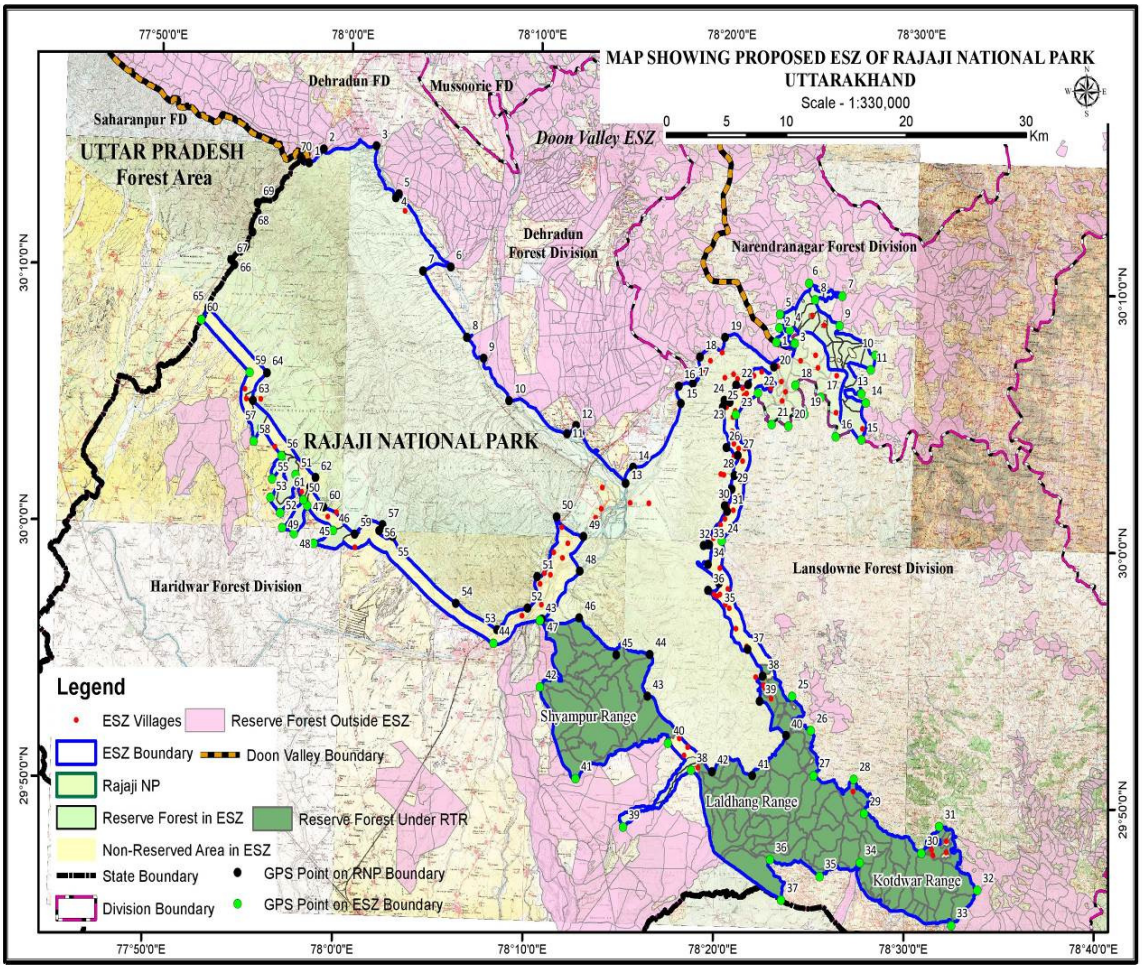

उपाबंध –II

दून वेली पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र

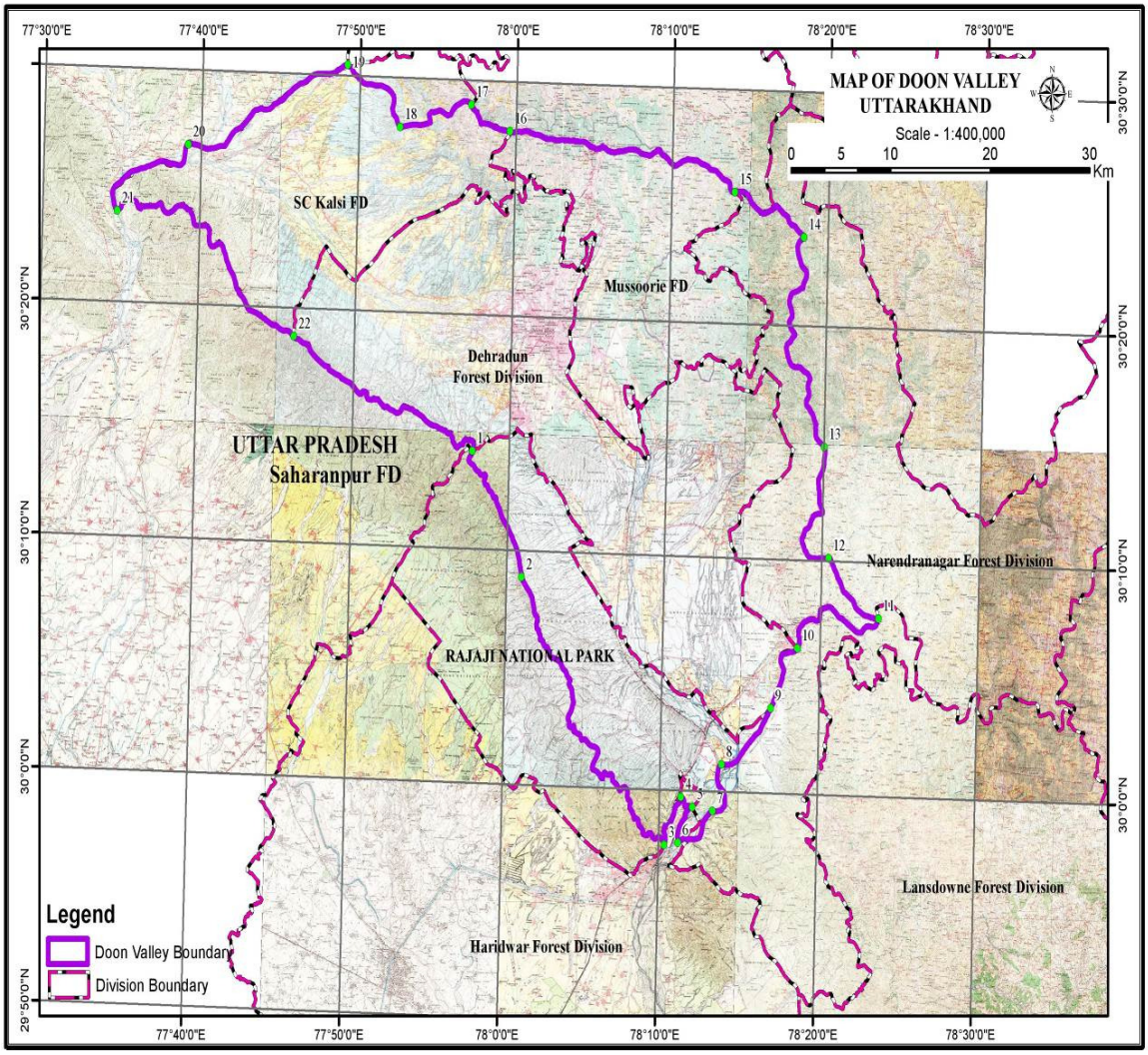

उपाबंध-III

सारणी क: राजाजी राष्ट्रीय उद्यान/बाघ रिजर्व के मुख्य स्थानों के अक्षांश-देशांतर

विवरण	देशांतर	अक्षांश	विवरण_01
1	77° 57' 50.297" पू	30° 14' 14.763" उ	उद्यान
2	77° 58' 35.689" पू	30° 14' 47.845" उ	उद्यान
3	78° 1' 22.233" पू	30° 14' 59.271" उ	उद्यान
4	78° 2' 26.681" पू	30° 12' 59.234" उ	उद्यान

5	78° 2' 36.669" पू	30° 13' 8.651" उ	उद्यान
6	78° 5' 25.673" पू	30° 10' 22.255" उ	उद्यान
7	78° 3' 58.802" पू	30° 10' 10.749" उ	उद्यान
8	78° 6' 22.342" पू	30° 7' 38.768" उ	उद्यान
9	78° 7' 16.450" पू	30° 6' 50.575" उ	उद्यान
10	78° 8' 39.958" पू	30° 5' 13.830" उ	उद्यान
11	78° 11' 44.750" पू	30° 4' 0.544" उ	उद्यान
12	78° 12' 13.459" पू	30° 4' 20.541" उ	उद्यान
13	78° 14' 54.121" पू	30° 2' 9.108" उ	उद्यान
14	78° 15' 15.450" पू	30° 2' 47.270" उ	उद्यान
15	78° 17' 42.646" पू	30° 5' 19.930" उ	उद्यान
16	78° 17' 35.310" पू	30° 6' 0.301" उ	उद्यान
17	78° 18' 19.128" पू	30° 6' 7.438" उ	उद्यान
18	78° 18' 40.058" पू	30° 7' 10.162" उ	उद्यान
19	78° 19' 57.796" पू	30° 7' 57.165" उ	उद्यान
20	78° 22' 34.356" पू	30° 6' 51.680" उ	उद्यान
21	78° 21' 13.877" पू	30° 6' 8.761" उ	उद्यान
22	78° 20' 35.541" पू	30° 6' 7.205" उ	उद्यान
23	78° 20' 16.616" पू	30° 5' 25.976" उ	उद्यान
24	78° 19' 59.906" पू	30° 5' 30.622" उ	उद्यान
25	78° 19' 54.944" पू	30° 5' 14.754" उ	उद्यान
26	78° 20' 9.308" पू	30° 3' 39.741" उ	उद्यान
27	78° 20' 45.793" पू	30° 3' 22.173" उ	उद्यान
28	78° 20' 36.418" पू	30° 2' 35.522" उ	उद्यान
29	78° 20' 29.021" पू	30° 2' 2.942" उ	उद्यान
30	78° 20' 8.376" पू	30° 1' 24.221" उ	उद्यान
31	78° 20' 15.654" पू	30° 1' 10.818" उ	उद्यान
32	78° 19' 5.007" पू	29° 59' 49.022" उ	उद्यान
33	78° 19' 22.291" पू	29° 59' 51.508" उ	उद्यान
34	78° 19' 19.132" पू	29° 59' 5.839" उ	उद्यान
35	78° 19' 55.610" पू	29° 58' 21.827" उ	उद्यान
36	78° 19' 20.957" पू	29° 58' 4.967" उ	उद्यान
37	78° 21' 30.653" पू	29° 55' 49.633" उ	उद्यान
38	78° 22' 19.916" पू	29° 54' 48.074" उ	उद्यान
39	78° 22' 11.741" पू	29° 53' 49.532" उ	उद्यान

40	78° 23' 37.274" पू	29° 52' 30.633" उ	उद्यान
41	78° 21' 53.838" पू	29° 50' 54.586" उ	उद्यान
42	78° 19' 46.252" पू	29° 51' 1.203" उ	उद्यान
43	78° 16' 17.363" पू	29° 53' 52.887" उ	उद्यान
44	78° 16' 22.618" पू	29° 55' 30.768" उ	उद्यान
45	78° 14' 36.523" पू	29° 55' 27.761" उ	उद्यान
46	78° 12' 36.848" पू	29° 56' 51.149" उ	उद्यान
47	78° 10' 39.082" पू	29° 56' 45.873" उ	उद्यान
48	78° 12' 35.513" पू	29° 58' 40.353" उ	उद्यान
49	78° 12' 44.491" पू	30° 0' 1.775" उ	उद्यान
50	78° 11' 18.361" पू	30° 0' 46.181" उ	उद्यान
51	78° 10' 21.142" पू	29° 58' 24.799" उ	उद्यान
52	78° 9' 53.307" पू	29° 57' 10.190" उ	उद्यान
53	78° 8' 18.723" पू	29° 56' 17.262" उ	उद्यान
54	78° 6' 7.169" पू	29° 57' 16.303" उ	उद्यान
55	78° 2' 42.004" पू	29° 59' 47.519" उ	उद्यान
56	78° 1' 59.244" पू	30° 0' 0.296" उ	उद्यान
57	78° 2' 9.655" पू	30° 0' 13.914" उ	उद्यान
58	78° 1' 16.365" पू	30° 0' 24.815" उ	उद्यान
59	78° 0' 42.912" पू	29° 59' 50.067" उ	उद्यान
60	77° 59' 2.224" पू	30° 0' 51.143" उ	उद्यान
61	77° 58' 18.822" पू	30° 1' 37.178" उ	उद्यान
62	77° 58' 34.427" पू	30° 1' 59.366" उ	उद्यान
63	77° 55' 10.957" पू	30° 4' 55.116" उ	उद्यान
64	77° 55' 52.887" पू	30° 6' 0.600" उ	उद्यान
65	77° 52' 42.703" पू	30° 8' 27.788" उ	उद्यान
66	77° 54' 2.233" पू	30° 10' 10.834" उ	उद्यान
67	77° 53' 51.147" पू	30° 10' 22.026" उ	उद्यान
68	77° 54' 56.542" पू	30° 11' 28.069" उ	उद्यान
69	77° 55' 10.453" पू	30° 12' 36.894" उ	उद्यान
70	77° 57' 23.191" पू	30° 14' 24.789" उ	उद्यान

सारणी ख: पारिस्थितिकी संवेदी जोन के मुख्य स्थानों के अक्षांश-देशांतर

विवरण	देशांतर	अक्षांश	विवरण_01
1	78°22' 39.861" पू	30°7' 50.104" उ	पारिस्थितिकी-जोन
2	78°22' 48.682" पू	30°8' 24.066" उ	पारिस्थितिकी-जोन
3	78°23' 37.685" पू	30°7' 48.157" उ	पारिस्थितिकी-जोन
4	78°23' 21.359" पू	30°8' 19.870" उ	पारिस्थितिकी-जोन
5	78°22' 50.020" पू	30°8' 55.398" उ	पारिस्थितिकी-जोन
6	78°24' 19.819" पू	30°10' 10.655" उ	पारिस्थितिकी-जोन
7	78°26' 5.305" पू	30°9' 42.671" उ	पारिस्थितिकी-जोन
8	78°24' 39.847" पू	30°9' 32.114" उ	पारिस्थितिकी-जोन
9	78°25' 58.449" पू	30°8' 32.729" उ	पारिस्थितिकी-जोन
10	78°27' 53.328" पू	30°7' 26.357" उ	पारिस्थितिकी-जोन
11	78°27' 39.984" पू	30°6' 52.094" उ	पारिस्थितिकी-जोन
12	78°27' 13.458" पू	30°6' 29.714" उ	पारिस्थितिकी-जोन
13	78°27' 11.495" पू	30°5' 55.608" उ	पारिस्थितिकी-जोन
14	78°27' 25.996" पू	30°5' 34.536" उ	पारिस्थितिकी-जोन
15	78°27' 15.372" पू	30°4' 7.708" उ	पारिस्थितिकी-जोन
16	78°25' 53.575" पू	30°4' 13.753" उ	पारिस्थितिकी-जोन
17	78°25' 4.031" पू	30°5' 44.007" उ	पारिस्थितिकी-जोन
18	78°23' 42.563" पू	30°6' 10.861" उ	पारिस्थितिकी-जोन
19	78°24' 13.162" पू	30°5' 3.833" उ	पारिस्थितिकी-जोन
20	78°23' 24.141" पू	30°4' 34.706" उ	पारिस्थितिकी-जोन
21	78°22' 30.421" पू	30°4' 37.674" उ	पारिस्थितिकी-जोन
22	78°21' 45.412" पू	30°5' 49.732" उ	पारिस्थितिकी-जोन
23	78°20' 36.719" पू	30°4' 58.076" उ	पारिस्थितिकी-जोन
24	78°20' 1.260" पू	30°0' 1.808" उ	पारिस्थितिकी-जोन
25	78°23' 54.108" पू	29°54' 2.977" उ	पारिस्थितिकी-जोन
26	78°24' 55.355" पू	29°52' 44.465" उ	पारिस्थितिकी-जोन
27	78°25' 6.509" पू	29°50' 59.415" उ	पारिस्थितिकी-जोन
28	78°27' 13.682" पू	29°50' 53.790" उ	पारिस्थितिकी-जोन
29	78°27' 48.996" पू	29°49' 34.082" उ	पारिस्थितिकी-जोन
30	78°30' 52.128" पू	29°48' 5.520" उ	पारिस्थितिकी-जोन
31	78°31' 46.235" पू	29°49' 8.868" उ	पारिस्थितिकी-जोन
32	78°33' 50.409" पू	29°46' 42.390" उ	पारिस्थितिकी-जोन
33	78°32' 30.077" पू	29°45' 18.222" उ	पारिस्थितिकी-जोन
34	78°27' 38.061" पू	29°47' 39.123" उ	पारिस्थितिकी-जोन
35	78°25' 32.420" पू	29°47' 3.969" उ	पारिस्थितिकी-जोन
36	78°22' 55.762" पू	29°47' 39.914" उ	पारिस्थितिकी-जोन
37	78°23' 33.539" पू	29°46' 5.919" उ	पारिस्थितिकी-जोन

38	78°18' 39.954" पू	29°51' 3.455" उ	पारिस्थितिकी-जोन
39	78°15' 10.155" पू	29°48' 45.355" उ	पारिस्थितिकी-जोन
40	78°17' 25.098" पू	29°52' 5.450" उ	पारिस्थितिकी-जोन
41	78°12' 36.551" पू	29°50' 35.066" उ	पारिस्थितिकी-जोन
42	78°10' 38.023" पू	29°54' 6.946" उ	पारिस्थितिकी-जोन
43	78°10' 32.903" पू	29°56' 42.893" उ	पारिस्थितिकी-जोन
44	78°8' 7.688" पू	29°55' 45.697" उ	पारिस्थितिकी-जोन
45	77°58' 32.761" पू	29°59' 25.301" उ	पारिस्थितिकी-जोन
46	77°59' 33.558" पू	29°59' 57.172" उ	पारिस्थितिकी-जोन
47	77°58' 10.105" पू	30°0' 53.150" उ	पारिस्थितिकी-जोन
48	77°57' 30.290" पू	29°59' 47.389" उ	पारिस्थितिकी-जोन
49	77°56' 52.172" पू	29°59' 59.782" उ	पारिस्थितिकी-जोन
50	77°57' 57.035" पू	30°1' 6.639" उ	पारिस्थितिकी-जोन
51	77°57' 30.652" पू	30°2' 5.060" उ	पारिस्थितिकी-जोन
52	77°56' 45.225" पू	30°0' 34.662" उ	पारिस्थितिकी-जोन
53	77°56' 13.058" पू	30°1' 9.971" उ	पारिस्थितिकी-जोन
54	77°56' 47.830" पू	30°2' 33.691" उ	पारिस्थितिकी-जोन
55	77°56' 16.979" पू	30°1' 53.056" उ	पारिस्थितिकी-जोन
56	77°56' 44.988" पू	30°2' 47.808" उ	पारिस्थितिकी-जोन
57	77°55' 39.541" पू	30°3' 52.421" उ	पारिस्थितिकी-जोन
58	77°55' 16.230" पू	30°3' 19.919" उ	पारिस्थितिकी-जोन
59	77°54' 57.652" पू	30°6' 0.546" उ	पारिस्थितिकी-जोन
60	77°52' 21.878" पू	30°8' 0.027" उ	पारिस्थितिकी-जोन

उपाबंध IV

राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

आई डी	वी_ओ डी ई	एस ई टी टी	देशांतर	अक्षांश
1	वी-22	कौवाला	77° 54' 44.487" पू	30° 5' 21.680" उ
2	वी-23	बुगावाला	77° 54' 34.515" पू	30° 5' 10.267" उ
3	वी-24	हरीपुर	77° 54' 49.304" पू	30° 4' 58.977" उ
4	वी-25	लालवाला	77° 56' 16.182" पू	30° 3' 18.734" उ
5	वी-26	बंदारजुद	77° 56' 23.439" पू	30° 3' 8.988" उ
6	वी-27	रसूलपुर तंगिया	77° 57' 50.603" पू	30° 2' 33.274" उ
7	वी-28	रसूलपुर	77° 57' 51.734" पू	30° 2' 24.505" उ
8	वी-29	दलुवाला	77° 57' 42.842" पू	30° 1' 34.834" उ
9	वी-30	दलुवाला (शिखोन का तंदा)	77° 57' 51.147" पू	30° 1' 25.581" उ
10	वी-31	कालातिरा	77° 59' 15.025" पू	30° 0' 29.234" उ
11	वी-32	तिरा	77° 59' 42.624" पू	30° 0' 40.191" उ

12	वी-33	तंदा	78° 0' 43.921" पू	29° 59' 19.774" उ
13	वी-34	रामनगर	78° 7' 58.699" पू	29° 55' 51.962" उ
14	वी-35	ऋषिकुल	78° 8' 41.569" पू	29° 56' 10.425" उ
15	वी-36	लोधामंडी	78° 8' 45.176" पू	29° 56' 34.637" उ
16	वी-37	देवपुरा	78° 8' 53.294" पू	29° 56' 26.495" उ
17	वी-38	मायापुर	78° 9' 12.073" पू	29° 56' 19.808" उ
18	वी-39	हरीद्वार	78° 9' 35.598" पू	29° 56' 52.287" उ
19	वी-40	लालजीवाला	78° 10' 36.626" पू	29° 57' 19.627" उ
20	वी-41	खारखरी	78° 10' 30.306" पू	29° 58' 8.135" उ
21	वी-42	भोपतवाला कलान	78° 10' 43.759" पू	29° 58' 33.597" उ
22	वी-43	दुदबिया बंध	78° 11' 2.374" पू	29° 58' 30.074" उ
23	वी-44	भापतवाला खुर्द	78° 11' 11.254" पू	29° 59' 22.596" उ
24	वी-45	हरीपुर खुर्द	78° 11' 39.587" पू	29° 59' 10.189" उ
25	वी-46	हरीपुर कलान	78° 11' 55.021" पू	29° 59' 45.342" उ
26	वी-47	परदुनी	78° 11' 35.365" पू	30° 0' 21.835" उ
27	वी-48	आर्यानगर	78° 18' 0.472" पू	29° 52' 16.923" उ
28	वी-49	रसूलपुर गोत	78° 18' 27.480" पू	29° 51' 57.246" उ
29	वी-50	रासिलपुर	78° 18' 17.267" पू	29° 51' 37.541" उ
30	वी-51	लालधंग	78° 19' 0.837" पू	29° 51' 10.074" उ
31	वी-52	गिंथला	78° 32' 9.766" पू	29° 48' 8.228" उ
32	वी-53	खाला	78° 31' 28.445" पू	29° 48' 0.872" उ
33	वी-54	तछयाली	78° 32' 9.185" पू	29° 48' 35.542" उ
34	वी-55	सुन्दरी थोक	78° 31' 23.061" पू	29° 48' 14.180" उ
35	वी-56	बिसतानकताल	78° 27' 12.290" पू	29° 50' 24.911" उ
36	वी-57	उलियाल वाला	78° 23' 15.338" पू	29° 53' 17.082" उ
37	वी-58	बेसनपुर	78° 23' 31.140" पू	29° 53' 25.937" उ
38	वी-59	मितामी	78° 22' 47.880" पू	29° 53' 56.563" उ
39	वी-60	गराकोट	78° 22' 27.466" पू	29° 54' 20.807" उ
40	वी-61	नलीखेत	78° 22' 22.436" पू	29° 54' 28.431" उ
41	वी-62	धारकोट	78° 22' 48.064" पू	29° 55' 19.794" उ
42	वी-63	कताल	78° 22' 6.131" पू	29° 55' 32.695" उ
43	वी-64	भावंसी	78° 21' 26.727" पू	29° 55' 57.281" उ
44	वी-65	उलीयाल	78° 20' 51.858" पू	29° 56' 38.026" उ
45	वी-66	जोगीयानु	78° 21' 7.828" पू	29° 57' 3.908" उ
46	वी-67	भुमरीयासरी	78° 20' 28.836" पू	29° 57' 24.804" उ
47	वी-68	बनस मल्ला	78° 20' 45.657" पू	29° 57' 34.386" उ
48	वी-69	कसानी	78° 20' 15.860" पू	29° 57' 32.880" उ
49	वी-70	बासनखाल	78° 19' 49.701" पू	29° 57' 51.293" उ
50	वी-71	दुमगांव	78° 19' 40.414" पू	29° 57' 56.528" उ
51	वी-72	सिमलखेत	78° 19' 59.055" पू	29° 57' 56.350" उ

52	वी-73	कन्दाखोल	78° 20' 23.415" पू	29° 58' 9.671" उ
53	वी-74	पुरानोन पाखोन	78° 19' 56.737" पू	29° 58' 58.339" उ
54	वी-75	अमकातल	78° 20' 0.404" पू	29° 59' 13.384" उ
55	वी-76	सन्सपुरी	78° 20' 3.917" पू	29° 59' 42.023" उ
56	वी-77	नलानी	78° 19' 35.009" पू	30° 0' 7.358" उ
57	वी-78	बनदारा	78° 19' 48.035" पू	30° 0' 13.930" उ
58	वी-79	सतराक	78° 20' 3.463" पू	30° 0' 7.406" उ
59	वी-80	बुकन्दी	78° 20' 27.242" पू	30° 0' 33.456" उ
60	वी-81	बेलवाला	78° 19' 55.934" पू	30° 0' 39.218" उ
61	वी-82	सिलकोली	78° 20' 8.730" पू	30° 0' 53.528" उ
62	वी-83	तेरोन	78° 20' 34.567" पू	30° 1' 13.989" उ
63	वी-84	सायानार	78° 20' 16.487" पू	30° 1' 23.622" उ
64	वी-85	घोरकातोल	78° 20' 56.401" पू	30° 1' 19.879" उ
65	वी-86	धौनसन	78° 20' 52.564" पू	30° 1' 47.452" उ
66	वी-87	बिनदयाखेत	78° 20' 55.827" पू	30° 2' 23.308" उ
67	वी-88	मंडी	78° 21' 11.827" पू	30° 2' 29.624" उ
68	वी-89	जुलेदी	78° 21' 0.928" पू	30° 3' 9.813" उ
69	वी-90	दिउली	78° 21' 6.771" पू	30° 3' 39.655" उ
70	वी-91	बन्सटोला	78° 20' 47.314" पू	30° 3' 38.796" उ
71	वी-92	खारगोशा	78° 20' 32.549" पू	30° 3' 49.970" उ
72	वी-93	कुथार	78° 20' 48.503" पू	30° 4' 4.787" उ
73	वी-94	भौन	78° 20' 25.913" पू	30° 4' 18.903" उ
74	वी-95	नीलकंथ	78° 20' 27.800" पू	30° 4' 52.419" उ
75	वी-96	टोली	78° 20' 34.569" पू	30° 5' 7.422" उ
76	वी-97	पुनदरासु	78° 20' 6.237" पू	30° 5' 14.812" उ
77	वी-98	अमसौर	78° 21' 1.671" पू	30° 5' 43.671" उ
78	वी-99	मनीकोट	78° 20' 56.135" पू	30° 5' 59.870" उ
79	वी-100	भदासी	78° 21' 9.695" पू	30° 5' 48.876" उ
80	वी-101	मोरल	78° 21' 19.736" पू	30° 5' 34.878" उ
81	वी-102	सिमलखेत	78° 22' 24.855" पू	30° 6' 2.069" उ
82	वी-103	रत्तापानी	78° 22' 58.537" पू	30° 6' 18.306" उ
83	वी-104	करोन्दी	78° 23' 11.734" पू	30° 5' 55.169" उ
84	वी-105	गुलार छत्ती	78° 23' 1.785" पू	30° 5' 33.607" उ
85	वी-106	सेरमाला	78° 25' 53.304" पू	30° 5' 9.375" उ
86	वी-107	मंजिलगांव	78° 27' 17.765" पू	30° 4' 34.133" उ
87	वी-108	सिरासु	78° 25' 52.226" पू	30° 6' 35.960" उ
88	वी-109	पुलानी	78° 24' 52.999" पू	30° 6' 53.480" उ
89	वी-110	कोटा	78° 24' 44.928" पू	30° 7' 22.587" उ
90	वी-111	भाटिया	78° 25' 9.550" पू	30° 8' 32.927" उ
91	वी-112	तैल	78° 24' 30.857" पू	30° 8' 55.500" उ

92	वी-113	फुलारी	78° 23' 57.206" पू	30° 7' 8.772" उ
93	वी-114	धुनारगांव	78° 23' 21.543" पू	30° 7' 10.482" उ
94	वी-115	फुल छत्ती	78° 22' 45.700" पू	30° 6' 53.787" उ
95	वी-116	पटना	78° 21' 55.586" पू	30° 6' 39.694" उ
96	वी-117	हलदोगी	78° 21' 31.082" पू	30° 6' 30.356" उ

उपाबंध – V

पारिस्थितिकी संवेदी जोन की निगरानी समिति — की - गई - कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट का प्रपत्र

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत को एक पृथक उपाबंध में प्रस्तुत करें ।
3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति ।
4. भू-अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निबटाए गए मामलों का सार। विवरण उपाबंध के रुप में संलग्न करें।
5. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार । विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें ।
6. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार । विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st May, 2018

S.O.2031(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the Public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it to the e-mail address of the Ministry at: - esz-mef@nic.in

Draft Notification

WHEREAS, Rajaji National Park is located in the Northern part of the country, lies between Latitudes 29º 51' N to 30º15' N and Longitudes 77º52' E to 77º22' E. The National Park is an excellent representative of the Shiwaliks ecosystem. Its history of the scientific conservation is among oldest in the country. Rajaji National Park is situated in three districts of Uttarakhand *viz*; Dehradun, Pouri Garhwal and Haridwar in the Shiwaliks mountain range which runs parallel to and in the south of Himalayas. Recognizing the urgency and need to protect and conserve the Shiwaliks hills

and rich biodiversity of the region, three existing Sanctuaries viz, "Rajaji National Park" in the Year 1983 vide U.P. Government notification No. 5440/XIV-3-84/76 dated 12.8.1983. Rajaji National Park spread over an area of **819.54 sq. kms** and lies between latitude 29º51'N-30º15'N and Longitude 77º 52'E-77º22E. The area of Rajaji National Park falls in three districts of Uttarakhand i.e. Dehradun, Haridwar and Pauri Garhwal. Rajaji National Park has been finally notified vide Uttarakhand Government's Notification No. 3807/X-2-2013-19(7)2002 dated, 14 September 2013.

AND WHEREAS, Rajaji National Park has been declared Rajaji Tiger Reserve vide notification No. 130/X-2-2015-19(1)201, dated 18th April 2015**.** A total area of **1075.17 sq. km.** has been declared as Rajaji Tiger Reserve. The Core Zone comprises the whole of Rajaji National Park is 819.54 sq km. The Buffer Zone has an area of 255.63 sq km which comprises of a reserve forest block (Bijni Beat) under the administrative control of RNP, part of Shyampur Range of Haridwar Forest Division and Laldhang & Kotdwar ranges of Lansdowne Forest Division.

AND WHEREAS, The National Park is also rich in the diversity of fauna with nearly 23 species of mammals and 315 avifauna species of birds found in the National Park. The river Ganga bifurcates the Park into two distinct parts: the eastern part comprising of Chilla and Gohri range is about 250 sq. km. and the western part comprising of Hardwar, Dhaulkhand, Beriwara, Chillawali, Motichur, Kansaru and Ramgarh ranges is about 569.54 sq. km. Since the creation of Rajaji National Park, the journey of conservation has been very challenging. The park is surrounded by big cities like Dehradun, Haridwar and Rishikesh and many small and medium human habitations, industrial areas and commercial establishments like group housing, ashrams, hotels and resorts all around. The linear structures like national highways, railway track, power and irrigation channels passing through the park have fragmented the wildlife habitat which has further made the conservation, a more challenging job.

AND WHEREAS, Rajaji National Park is surrounded by Dehradun Forest Division, Lansdowne Forest Division, Hardwar Forest Division, Narendra Nagar Forest Division and Shivalik Forest Division of Uttar Pradesh. A number of wildlife corridors exist between Rajaji National Park and these forest divisions. Some of the prominent wildlife corridors are Kansrau-Barkot, Chilla-Motichur, Motichur-Gohri and Rawasan-Sonanadi through Lansdowne Forest Division. Thus, in these areas there is a need to declare Eco Sensitive Zones around the Rajaji National Park.

AND WHEREAS, The main aim of creating Eco-sensitive Zone around Rajaji National Park is to create some kind of shock absorber and also acts as a transition zone from areas of high protection to areas involving lesser protection. The activities in the Eco sensitive Zone would be mainly of regulatory nature. The Eco-sensitive Zone is not meant to be hampering the day to day activities of the local community but instead to promote conservation of the biodiversity through sustainable development.

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area the extent and boundaries of which is specified in paragraph 1 of this notification around the protected area of Rajaji National Park, as Eco-sensitive zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone.

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub section (l) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent of 10 kilometres around the boundary of Rajaji National Park and Rajaji Tiger Reserve in the Dehradun, Haridwar and Pauri of districts of Uttarakhand as the Rajaji National Park and Rajaji Tiger Reserve, Eco-sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:—

1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.—

(1) The extent of Eco-sensitive Zone varies from zero (due to Inter-State boundary) to 10 km around the Rajaji National Park and Rajaji Tiger Reserve. The area of Eco-sensitive Zone is 372.18 square kilometres of which 255.63 sq. km is forest land and 116.55 sq. km. is non-forest land.

(2) The boundary description of Rajaji National Park and Rajaji Tiger Reserve is given in **Annexure-I.**

(3) The map of the Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes is appended as **Annexure-II A-D.** The map of the Doon Valley Eco-sensitive Zone is annexed **II E.**

(4) The geo-coordinates of Rajaji National Park and its Eco-sensitive Zone are given in table **A & B** of **Annexure-III.**

(5) The list of villages falling within the Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure-IV.**

2. Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.—

(1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the Competent authority of State.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following State Departments, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan, namely:—

(i) Forest;

(ii) Urban Development;

(iii) Rural Development;

(iv) Tourism, Agriculture;

(v) Horticulture;

(vi) Public Works;

(vii) State Pollution Control Board, Revenue etc.

The consents of local public representatives will also be obtained before finalization of this plan.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies and also with supporting maps. The Plan shall be supported by Maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited, regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The said Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone so as to ensure eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(10) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by the State Government.—The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:—

(1) Land use.—

(a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for major commercial or major residential complex or industrial activities.

(b) Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a), within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with

the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central/State Government as applicable and vide provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents such as:

i. Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
ii. Construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
iii. Small scale industries not causing pollution;
iv. Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and
v. Promoted activities and given under para 4.

(c) Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

(d) Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

(e) Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(f) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) Natural water bodies.-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) Tourism/ Eco-tourism

(a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:—

(i) No new construction of hotels and resorts shall be allowed within 1 km from the boundary of the National Park/Tiger reserve or upto the extent of the ESZ whichever is nearer. However, beyond the distance of 1 km from the boundary of the National Park/Tiger reserve till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism;

(iii) Until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel /resort or commercial establishment construction is permitted within ESZ area.

(4) Natural heritage.- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites.- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution. - Prevention and Control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986 and amendments thereto.

(7) Air pollution.- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made thereunder and amendments thereto.

(8) Discharge of effluents. - Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environmental (Protection) Act, 1986 and rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.

(9) Solid wastes. - Disposal and Management of solid wastes shall be as under:—

(a) The solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 and published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone.

(b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(10) Bio-medical waste. – Bio medical waste management shall be as under:

(a) The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* Notification number GSR 343 (E), dated the 28th March, 2016.

(b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Bio-medical wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(11) Plastic Waste Management. - The Plastic Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time**.**

(12) Construction and Demolition Waste Management. - The Construction and Demolition Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) E-waste. - The E- Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and as amended from time to time.

(14) Vehicular traffic. – The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular Pollution. - Prevention and control of Vehicular Pollution shall be complied with in accordance with applicable laws. Efforts to be made for use of cleaner fuel for example CNG, LPG, etc.

(16) Industrial Units. –

(i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be allowed to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within ESZ as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of Hill Slopes. - The protection of hill slopes shall be as under:

(a) The Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted.

(b) No construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.

4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.-

All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone (CRZ), 2011 and the Environmental Impact Assessment (EIA) Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:—

TABLE

Sl. No.	Activity	Description
		A. Prohibited Activities
1.	Commercial Mining	(a) All new and existing (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for other activities. (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	No new industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive zone shall be permitted. Only non-polluting industries shall be allowed within ESZ as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydroelectric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Setting of new saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
		B. Regulated Activities
8.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities. Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall

		be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
9.	Construction activities	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one Kilometer from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer: (b) Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub paragraph (1) of paragraph 3 as per building byelaws to meet the residential needs of the local residents such as: (i) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads; (ii) Construction and renovation of infrastructure and civic amenities; (iii) Small scale industries not causing pollution termed as per Classification done by Central Pollution Control Board of February 2016; (iv) Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including homestays; and (v) Promoted activities listed in this Notification. (c) Provided that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (d) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
10.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
11.	Felling of Trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made there under.
12.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
13.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable law. Underground cabling may be promoted.
14.	Infrastructure including civic amenities.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
15.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
16.	Undertaking other activities related to tourism like over flying the ESZ area by hot air balloon, helicopter,	Regulated under applicable law.

	drones, Microlites, etc.	
17.	Protection of Hill Slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
18.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
19.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws for use of locals.
20.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate, companies.	Regulated under applicable laws.
21.	Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water/effluents shall be avoided to enter into the water bodies. Efforts to be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per applicable laws.
22.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated under applicable law.
23.	Open Well, Bore Well etc. for agriculture or other usage.	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
24.	Solid Waste Management.	Regulated under applicable laws.
25.	Introduction of Exotic species.	Regulated under applicable laws.
26.	Eco-tourism	Regulated under applicable laws.
27.	Use of polythene bags.	Use of polythene bags are permitted within the Eco Sensitive Zone. However, based on specific requirement, it shall be regulated under applicable laws.
28.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
	C. Promoted Activities	
29.	Rain water harvesting	Shall be actively promoted.
30.	Organic farming	Shall be actively promoted.
31.	Adoption of green technology for all activities	Shall be actively promoted.
32.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
33.	Use of renewable energy and fuels	Bio gas, solar light etc. to be actively promoted.
34.	Agro-Forestry	Shall be actively promoted.
35.	Plantation of Horticulture and Herbals	Shall be actively promoted.
36.	Use of eco-friendly transport	Shall be actively promoted.
37.	Skill Development	Shall be actively promoted.
38.	Restoration of Degraded Land/ Forests/ Habitat	Shall be actively promoted.
39.	Environmental Awareness	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee for Monitoring the Eco-Sensitive Zone Notification:

The Central Government constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the provisions of this Notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 comprising of the following, namely:—

1.	Commissioner Garhwal	Chairman
2.	Director Rajaji National Park	Member
3.	District Magistrate Dehradun/Haridwar/Pauri	Member
4.	Wildlife Warden Rajaji Tiger Reserve	Member
5.	Representative of Uttarakhand State Pollution Control Board, Dehradun	Member
6.	A representative of Mussorie Dehradun Development Authority	Member
7.	A representative of Non-governmental Organisation working in the field of wildlife conservation to be nominated by the State Government	Member
8.	A expert in Biodiversity nominated by the State Government	Member
9.	One expert in Ecology from reputed institution or university of the State	Member
10.	Deputy Conservator of Forests/Deputy Director Rajaji National Park	Member Secretary

6. Terms of Reference. –

(1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2) The tenure of the Monitoring committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee would be constituted by the State Government.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(5) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma given in Annexure V.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification are subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/48/2017-ESZ]
LALIT KAPUR, Scientist 'G'

ANNEXURE- I

BOUNDARY DESCRIPTION OF THE RAJAJI NATIONAL PARK

Northern Boundary: Starting from pillar No. 34 of Asharorhi Reserved Forest block proceeds along the outer eastern boundary of Asharorhi, Mohamadpur, Mohabewala, compartment no.6 Phandowala, Balindawala, Amsot, Jhabrawala, Bahera and Banbaha 4 and goes along the outer northern boundary of Suswa reserved Forest and Raiwala compartment no.2 upto the River Ganga; then along the western outer boundary of kanthwala Majhara boundary of Gohri range and along the banks of the river Ganga till Jonk chak; thence along the boundary of Biadasani Forest block and Jonk chak and thence along the middle of the river till the pillar no.1 in Bidasani compartment no.1.

Eastern Boundary: Starting from pillar No. 1 of Bidasani compartment no.1 on the bank of Gange, moves along the outer Eastern boundary of the reserved forest block Bidhasani, Dugadda, Amgaddi, Luni and outer boundaries of compartment numbers 1,6,7,5,2,and 3 of Rawasan Reserved forest block and terminates at the point where the river Rawasan crosses Kotdwar - Chilla forest motor road.

Southern Boundary: Starting from the point where river Rawasan crosses Kotdwar - Chilla forest motor road, proceeding along the southern outer boundary of Reserved forest blocks of Luni, Mundal and Hazara upto Chandi Ghat; thereafter turns North along the River Ganga to forest boundary pillar no.7 of Dudhia Reserved forest block and then along the southern and Western outer boundary of Dudhia block and along southern boundary of Haripur Kalan reserved forest block to the point where it meets the external boundary of kharkhari Reserved Forest block, outer boundary of reserved forest blocks of Mayapur, Ranipur, Rawali, Chirrak, Harnol, Gholna, Teera (excluding the Teera taungya settlement)] Sendhali, Rasulpur (excluding the Rasulpur taungya settlement), Ganjarban, Lakarkot, Baniawala and Lalwala terminating at forest boundary pillar no. 635.

Western Boundary: Starting from forest boundary pillar No. 635 of Lalwala forest block turns to north along inter-state boundary of Uttarakhand and Uttar Pradesh till it meets the National Highway 72A; then along the highway till the Shiwalik ridge; then along the outer boundary of Asarori Reserved forest block till pillar no.24; the along boundary of Asarori compartment no.5a and 5b till pillar no.34.

ANNEXURE- IIA

LOCATION MAP OF RAJAJI NATIONAL PARK IN UTTARAKHAND

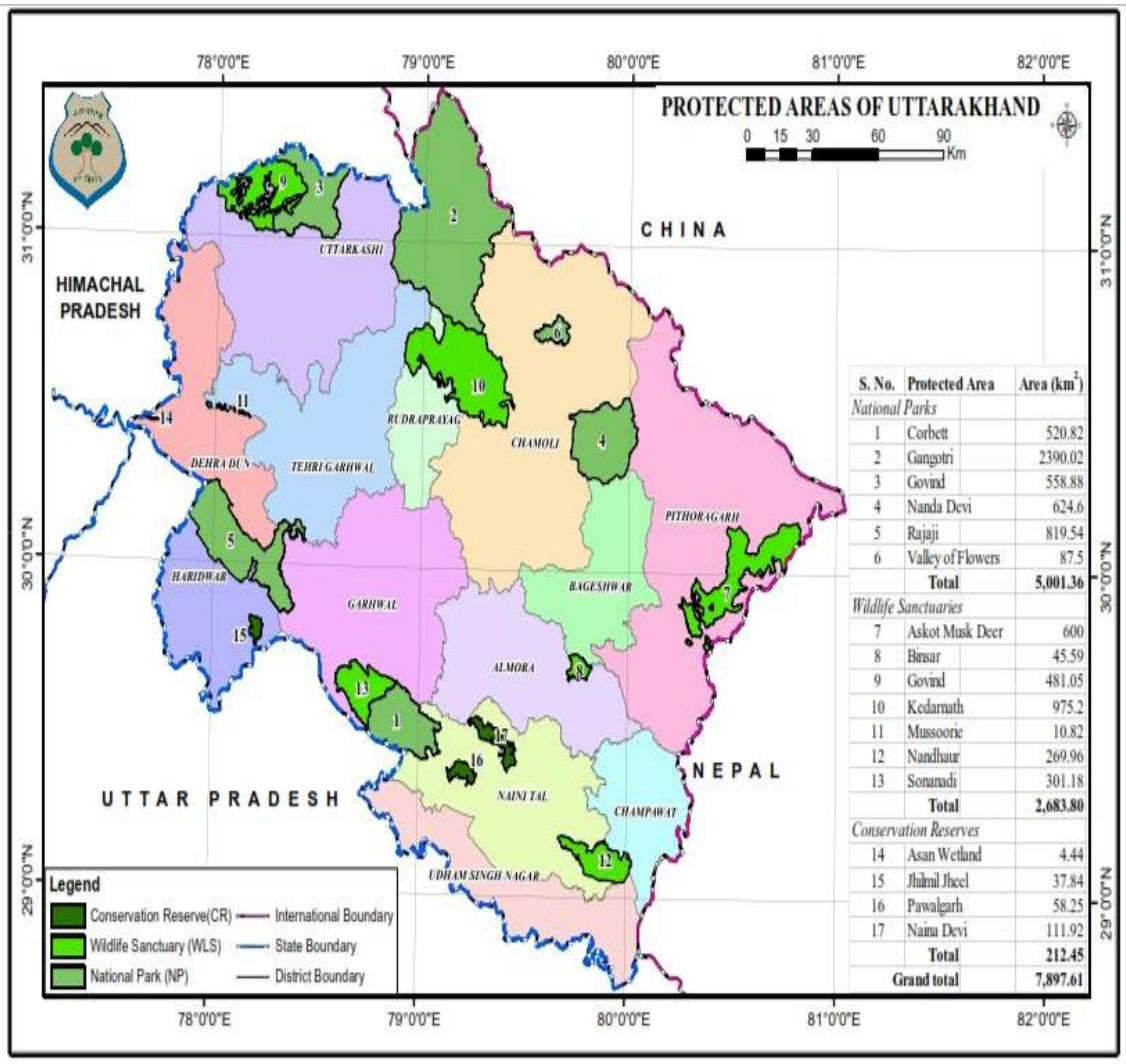

S. No.	Protected Area	Area (km²)
National Parks		
1	Corbett	520.82
2	Gangotri	2390.02
3	Govind	558.88
4	Nanda Devi	624.6
5	Rajaji	819.54
6	Valley of Flowers	87.5
	Total	**5,001.36**
Wildlife Sanctuaries		
7	Askot Musk Deer	600
8	Binsar	45.59
9	Govind	481.05
10	Kedarnath	975.2
11	Mussoorie	10.82
12	Nandhaur	269.96
13	Sonanadi	301.18
	Total	**2,683.80**
Conservation Reserves		
14	Asan Wetland	4.44
15	Jhilmil Jheel	37.84
16	Pawalgarh	58.25
17	Naina Devi	111.92
	Total	**212.45**
	Grand total	**7,897.61**

ANNEXURE- IIB

GOOGLE IMAGE OF ECO-SENSITIVE ZONE OF RAJAJI NATIONAL PARK ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS

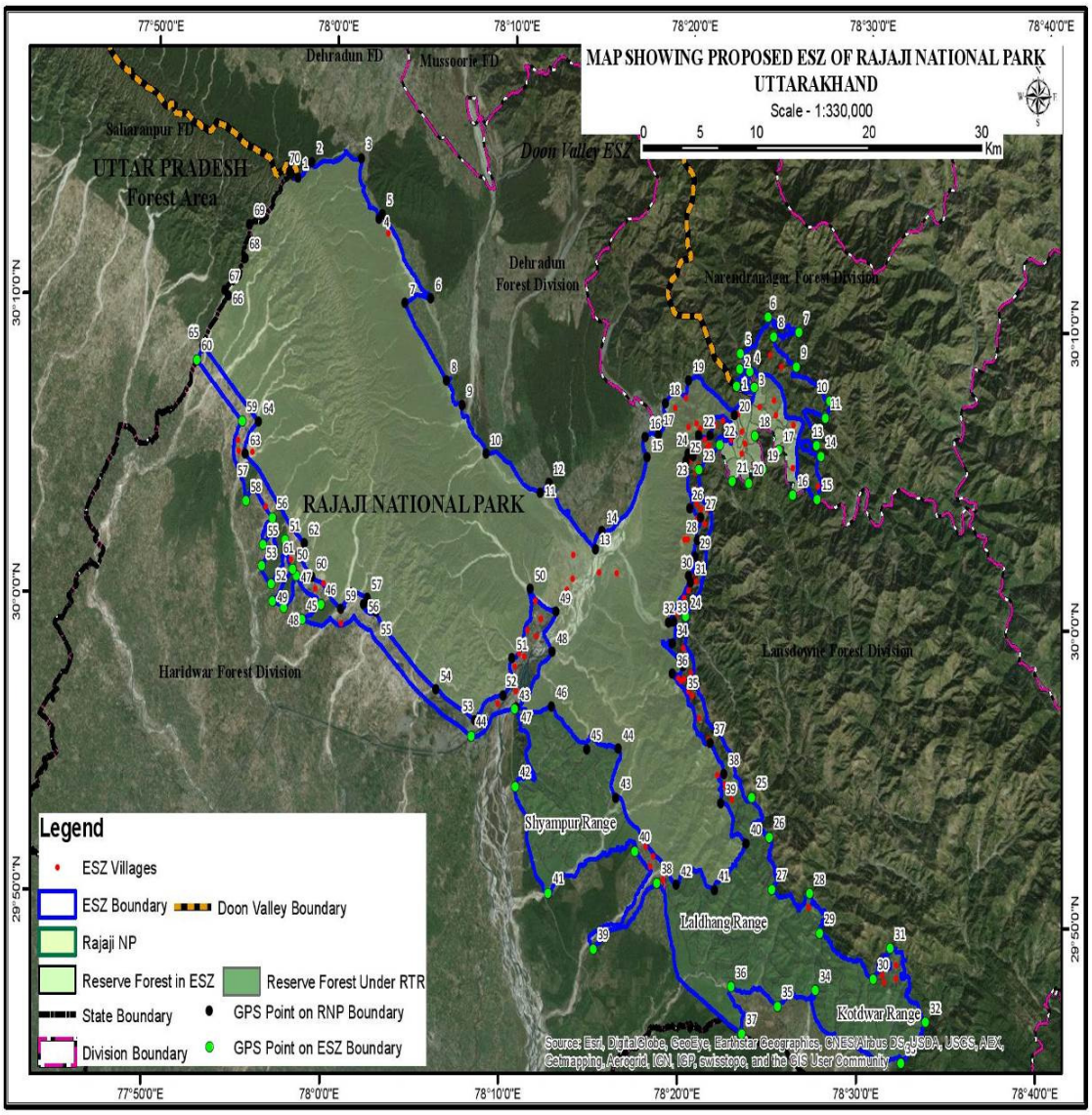

ANNEXURE- IIC

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF RAJAJI NATIONAL PARK ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS

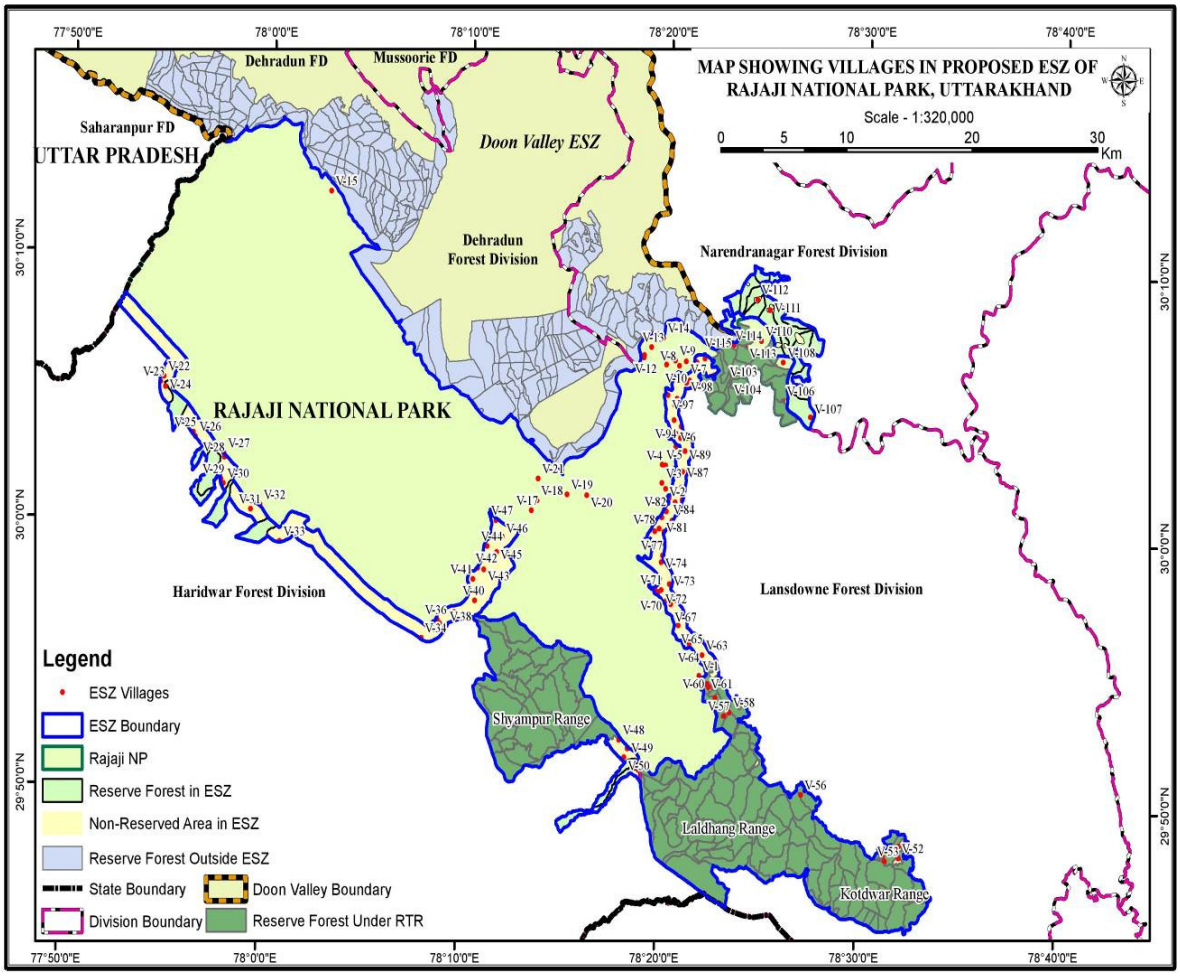

ANNEXURE- IID

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF RAJAJI NATIONAL PARK ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS IN SURVEY OF INDIA (SOI) TOPOSHEET

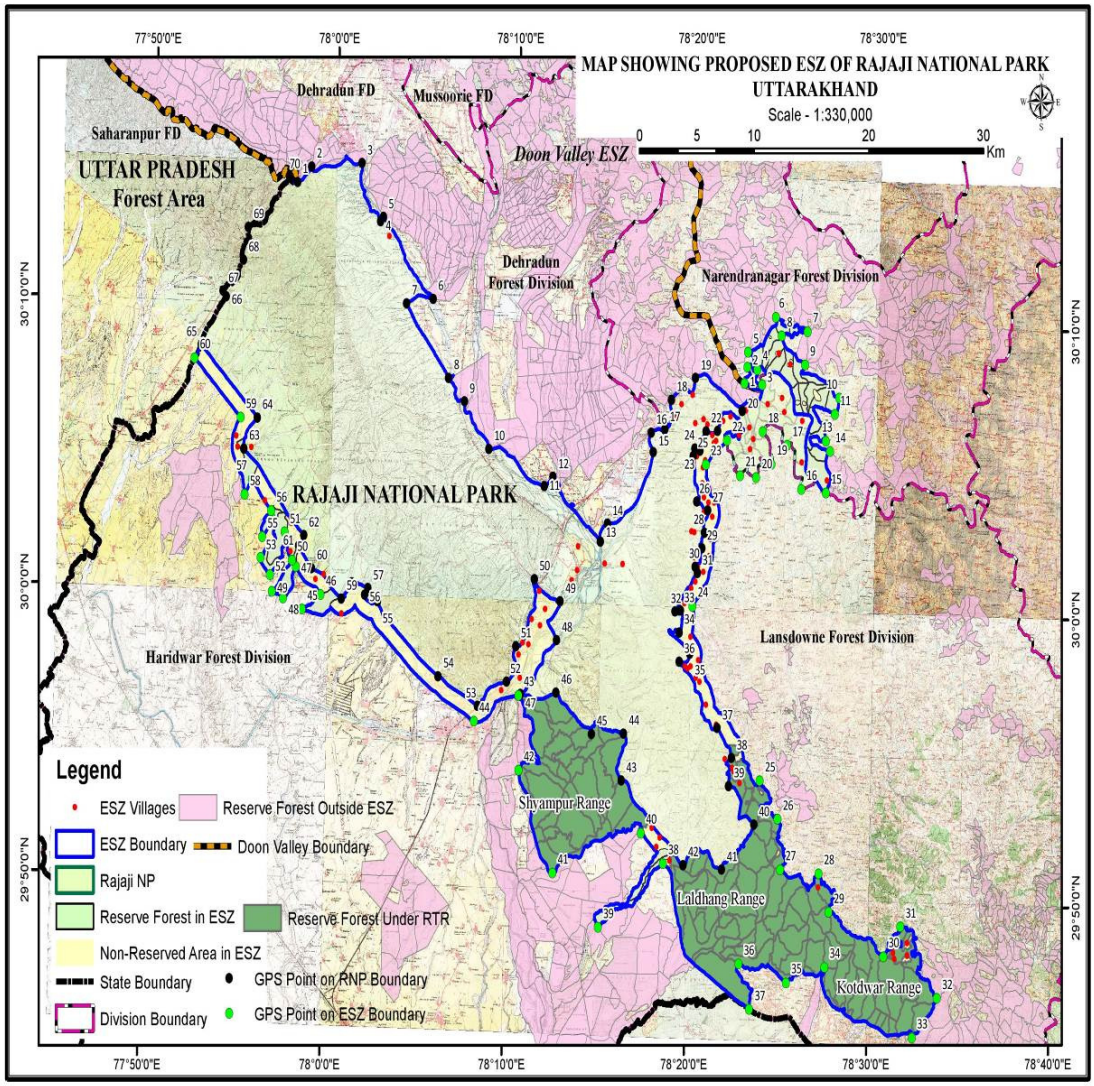

ANNEXURE- IIE

MAP OF DOON VALLEY ECO-SENSITIVE ZONE

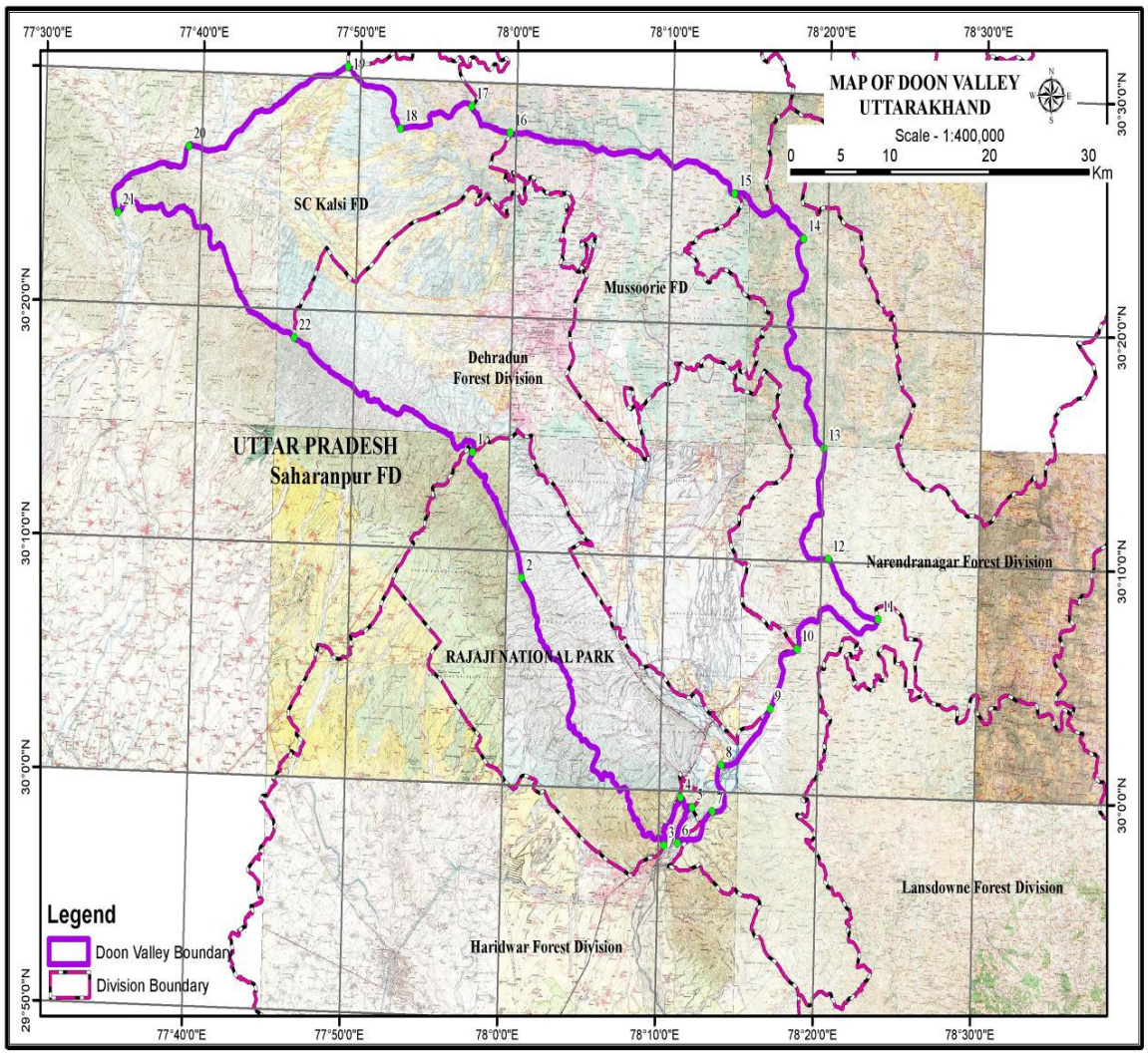

ANNEXURE-III

TABLE A: Latitude-Longitude of Prominent Locations of Rajaji National Park/Tiger reserve

Discr	Key_Long	Key_Lat	Discr_01
1	77° 57' 50.297" E	30° 14' 14.763" N	Park
2	77° 58' 35.689" E	30° 14' 47.845" N	Park
3	78° 1' 22.233" E	30° 14' 59.271" N	Park
4	78° 2' 26.681" E	30° 12' 59.234" N	Park
5	78° 2' 36.669" E	30° 13' 8.651" N	Park
6	78° 5' 25.673" E	30° 10' 22.255" N	Park
7	78° 3' 58.802" E	30° 10' 10.749" N	Park
8	78° 6' 22.342" E	30° 7' 38.768" N	Park
9	78° 7' 16.450" E	30° 6' 50.575" N	Park
10	78° 8' 39.958" E	30° 5' 13.830" N	Park
11	78° 11' 44.750" E	30° 4' 0.544" N	Park
12	78° 12' 13.459" E	30° 4' 20.541" N	Park
13	78° 14' 54.121" E	30° 2' 9.108" N	Park
14	78° 15' 15.450" E	30° 2' 47.270" N	Park
15	78° 17' 42.646" E	30° 5' 19.930" N	Park
16	78° 17' 35.310" E	30° 6' 0.301" N	Park
17	78° 18' 19.128" E	30° 6' 7.438" N	Park
18	78° 18' 40.058" E	30° 7' 10.162" N	Park
19	78° 19' 57.796" E	30° 7' 57.165" N	Park
20	78° 22' 34.356" E	30° 6' 51.680" N	Park
21	78° 21' 13.877" E	30° 6' 8.761" N	Park
22	78° 20' 35.541" E	30° 6' 7.205" N	Park
23	78° 20' 16.616" E	30° 5' 25.976" N	Park
24	78° 19' 59.906" E	30° 5' 30.622" N	Park
25	78° 19' 54.944" E	30° 5' 14.754" N	Park
26	78° 20' 9.308" E	30° 3' 39.741" N	Park
27	78° 20' 45.793" E	30° 3' 22.173" N	Park
28	78° 20' 36.418" E	30° 2' 35.522" N	Park
29	78° 20' 29.021" E	30° 2' 2.942" N	Park
30	78° 20' 8.376" E	30° 1' 24.221" N	Park
31	78° 20' 15.654" E	30° 1' 10.818" N	Park
32	78° 19' 5.007" E	29° 59' 49.022" N	Park
33	78° 19' 22.291" E	29° 59' 51.508" N	Park
34	78° 19' 19.132" E	29° 59' 5.839" N	Park
35	78° 19' 55.610" E	29° 58' 21.827" N	Park
36	78° 19' 20.957" E	29° 58' 4.967" N	Park
37	78° 21' 30.653" E	29° 55' 49.633" N	Park

38	78° 22' 19.916" E	29° 54' 48.074" N	Park
39	78° 22' 11.741" E	29° 53' 49.532" N	Park
40	78° 23' 37.274" E	29° 52' 30.633" N	Park
41	78° 21' 53.838" E	29° 50' 54.586" N	Park
42	78° 19' 46.252" E	29° 51' 1.203" N	Park
43	78° 16' 17.363" E	29° 53' 52.887" N	Park
44	78° 16' 22.618" E	29° 55' 30.768" N	Park
45	78° 14' 36.523" E	29° 55' 27.761" N	Park
46	78° 12' 36.848" E	29° 56' 51.149" N	Park
47	78° 10' 39.082" E	29° 56' 45.873" N	Park
48	78° 12' 35.513" E	29° 58' 40.353" N	Park
49	78° 12' 44.491" E	30° 0' 1.775" N	Park
50	78° 11' 18.361" E	30° 0' 46.181" N	Park
51	78° 10' 21.142" E	29° 58' 24.799" N	Park
52	78° 9' 53.307" E	29° 57' 10.190" N	Park
53	78° 8' 18.723" E	29° 56' 17.262" N	Park
54	78° 6' 7.169" E	29° 57' 16.303" N	Park
55	78° 2' 42.004" E	29° 59' 47.519" N	Park
56	78° 1' 59.244" E	30° 0' 0.296" N	Park
57	78° 2' 9.655" E	30° 0' 13.914" N	Park
58	78° 1' 16.365" E	30° 0' 24.815" N	Park
59	78° 0' 42.912" E	29° 59' 50.067" N	Park
60	77° 59' 2.224" E	30° 0' 51.143" N	Park
61	77° 58' 18.822" E	30° 1' 37.178" N	Park
62	77° 58' 34.427" E	30° 1' 59.366" N	Park
63	77° 55' 10.957" E	30° 4' 55.116" N	Park
64	77° 55' 52.887" E	30° 6' 0.600" N	Park
65	77° 52' 42.703" E	30° 8' 27.788" N	Park
66	77° 54' 2.233" E	30° 10' 10.834" N	Park
67	77° 53' 51.147" E	30° 10' 22.026" N	Park
68	77° 54' 56.542" E	30° 11' 28.069" N	Park
69	77° 55' 10.453" E	30° 12' 36.894" N	Park
70	77° 57' 23.191" E	30° 14' 24.789" N	Park

TABLE B: Latitude-Longitude of Prominent Locations of Eco-Sensitive Zone

Discr	Key_Long	Key_Lat	Discr_01
1	78°22' 39.861" E	30°7' 50.104" N	Eco-Zone
2	78°22' 48.682" E	30°8' 24.066" N	Eco-Zone
3	78°23' 37.685" E	30°7' 48.157" N	Eco-Zone

4	78°23' 21.359" E	30°8' 19.870" N	Eco-Zone
5	78°22' 50.020" E	30°8' 55.398" N	Eco-Zone
6	78°24' 19.819" E	30°10' 10.655" N	Eco-Zone
7	78°26' 5.305" E	30°9' 42.671" N	Eco-Zone
8	78°24' 39.847" E	30°9' 32.114" N	Eco-Zone
9	78°25' 58.449" E	30°8' 32.729" N	Eco-Zone
10	78°27' 53.328" E	30°7' 26.357" N	Eco-Zone
11	78°27' 39.984" E	30°6' 52.094" N	Eco-Zone
12	78°27' 13.458" E	30°6' 29.714" N	Eco-Zone
13	78°27' 11.495" E	30°5' 55.608" N	Eco-Zone
14	78°27' 25.996" E	30°5' 34.536" N	Eco-Zone
15	78°27' 15.372" E	30°4' 7.708" N	Eco-Zone
16	78°25' 53.575" E	30°4' 13.753" N	Eco-Zone
17	78°25' 4.031" E	30°5' 44.007" N	Eco-Zone
18	78°23' 42.563" E	30°6' 10.861" N	Eco-Zone
19	78°24' 13.162" E	30°5' 3.833" N	Eco-Zone
20	78°23' 24.141" E	30°4' 34.706" N	Eco-Zone
21	78°22' 30.421" E	30°4' 37.674" N	Eco-Zone
22	78°21' 45.412" E	30°5' 49.732" N	Eco-Zone
23	78°20' 36.719" E	30°4' 58.076" N	Eco-Zone
24	78°20' 1.260" E	30°0' 1.808" N	Eco-Zone
25	78°23' 54.108" E	29°54' 2.977" N	Eco-Zone
26	78°24' 55.355" E	29°52' 44.465" N	Eco-Zone
27	78°25' 6.509" E	29°50' 59.415" N	Eco-Zone
28	78°27' 13.682" E	29°50' 53.790" N	Eco-Zone
29	78°27' 48.996" E	29°49' 34.082" N	Eco-Zone
30	78°30' 52.128" E	29°48' 5.520" N	Eco-Zone
31	78°31' 46.235" E	29°49' 8.868" N	Eco-Zone
32	78°33' 50.409" E	29°46' 42.390" N	Eco-Zone
33	78°32' 30.077" E	29°45' 18.222" N	Eco-Zone
34	78°27' 38.061" E	29°47' 39.123" N	Eco-Zone
35	78°25' 32.420" E	29°47' 3.969" N	Eco-Zone
36	78°22' 55.762" E	29°47' 39.914" N	Eco-Zone
37	78°23' 33.539" E	29°46' 5.919" N	Eco-Zone
38	78°18' 39.954" E	29°51' 3.455" N	Eco-Zone
39	78°15' 10.155" E	29°48' 45.355" N	Eco-Zone
40	78°17' 25.098" E	29°52' 5.450" N	Eco-Zone
41	78°12' 36.551" E	29°50' 35.066" N	Eco-Zone
42	78°10' 38.023" E	29°54' 6.946" N	Eco-Zone
43	78°10' 32.903" E	29°56' 42.893" N	Eco-Zone

44	78°8' 7.688" E	29°55' 45.697" N	Eco-Zone
45	77°58' 32.761" E	29°59' 25.301" N	Eco-Zone
46	77°59' 33.558" E	29°59' 57.172" N	Eco-Zone
47	77°58' 10.105" E	30°0' 53.150" N	Eco-Zone
48	77°57' 30.290" E	29°59' 47.389" N	Eco-Zone
49	77°56' 52.172" E	29°59' 59.782" N	Eco-Zone
50	77°57' 57.035" E	30°1' 6.639" N	Eco-Zone
51	77°57' 30.652" E	30°2' 5.060" N	Eco-Zone
52	77°56' 45.225" E	30°0' 34.662" N	Eco-Zone
53	77°56' 13.058" E	30°1' 9.971" N	Eco-Zone
54	77°56' 47.830" E	30°2' 33.691" N	Eco-Zone
55	77°56' 16.979" E	30°1' 53.056" N	Eco-Zone
56	77°56' 44.988" E	30°2' 47.808" N	Eco-Zone
57	77°55' 39.541" E	30°3' 52.421" N	Eco-Zone
58	77°55' 16.230" E	30°3' 19.919" N	Eco-Zone
59	77°54' 57.652" E	30°6' 0.546" N	Eco-Zone
60	77°52' 21.878" E	30°8' 0.027" N	Eco-Zone

ANNEXURE-IV

LIST OF VILLAGES FALLING UNDER ECO-SENSITIVE ZONE OF RAJAJI NATIONAL PARK

ID	V_ODE	SETT	LONGITUDE	LATITUDE
1	V-22	Kuewala	77° 54' 44.487" E	30° 5' 21.680" N
2	V-23	Bugawala	77° 54' 34.515" E	30° 5' 10.267" N
3	V-24	Haripur	77° 54' 49.304" E	30° 4' 58.977" N
4	V-25	Lalwala	77° 56' 16.182" E	30° 3' 18.734" N
5	V-26	Bandarjud	77° 56' 23.439" E	30° 3' 8.988" N
6	V-27	Rasulpur Tangia	77° 57' 50.603" E	30° 2' 33.274" N
7	V-28	Rasulpur	77° 57' 51.734" E	30° 2' 24.505" N
8	V-29	Daluwala	77° 57' 42.842" E	30° 1' 34.834" N
9	V-30	Daluwala (Shikhon Ka Tanda)	77° 57' 51.147" E	30° 1' 25.581" N
10	V-31	Kalatira	77° 59' 15.025" E	30° 0' 29.234" N
11	V-32	Tira	77° 59' 42.624" E	30° 0' 40.191" N
12	V-33	Tanda	78° 0' 43.921" E	29° 59' 19.774" N
13	V-34	Ramnagar	78° 7' 58.699" E	29° 55' 51.962" N
14	V-35	Rishikul	78° 8' 41.569" E	29° 56' 10.425" N
15	V-36	Lodhamandi	78° 8' 45.176" E	29° 56' 34.637" N
16	V-37	Devpura	78° 8' 53.294" E	29° 56' 26.495" N
17	V-38	Mayapur	78° 9' 12.073" E	29° 56' 19.808" N

18	V-39	Haridwar	78° 9' 35.598" E	29° 56' 52.287" N
19	V-40	Laljiwala	78° 10' 36.626" E	29° 57' 19.627" N
20	V-41	Kharkhari	78° 10' 30.306" E	29° 58' 8.135" N
21	V-42	Bhopatwala Kalan	78° 10' 43.759" E	29° 58' 33.597" N
22	V-43	Dudbia Bandh	78° 11' 2.374" E	29° 58' 30.074" N
23	V-44	Bhapatwala Khurd	78° 11' 11.254" E	29° 59' 22.596" N
24	V-45	Haripur Khurd	78° 11' 39.587" E	29° 59' 10.189" N
25	V-46	Haripur Kalan	78° 11' 55.021" E	29° 59' 45.342" N
26	V-47	Parduni	78° 11' 35.365" E	30° 0' 21.835" N
27	V-48	Aryanagar	78° 18' 0.472" E	29° 52' 16.923" N
28	V-49	Rasulpur Got	78° 18' 27.480" E	29° 51' 57.246" N
29	V-50	Rasilpur	78° 18' 17.267" E	29° 51' 37.541" N
30	V-51	Laldhang	78° 19' 0.837" E	29° 51' 10.074" N
31	V-52	Ginthla	78° 32' 9.766" E	29° 48' 8.228" N
32	V-53	Khala	78° 31' 28.445" E	29° 48' 0.872" N
33	V-54	Tachhyali	78° 32' 9.185" E	29° 48' 35.542" N
34	V-55	Sundri Thok	78° 31' 23.061" E	29° 48' 14.180" N
35	V-56	Bistankatal	78° 27' 12.290" E	29° 50' 24.911" N
36	V-57	Uliyal Walla	78° 23' 15.338" E	29° 53' 17.082" N
37	V-58	Besanpur	78° 23' 31.140" E	29° 53' 25.937" N
38	V-59	Mitami	78° 22' 47.880" E	29° 53' 56.563" N
39	V-60	Garakot	78° 22' 27.466" E	29° 54' 20.807" N
40	V-61	Nalikhet	78° 22' 22.436" E	29° 54' 28.431" N
41	V-62	Dharkot	78° 22' 48.064" E	29° 55' 19.794" N
42	V-63	Katal	78° 22' 6.131" E	29° 55' 32.695" N
43	V-64	Bhawansi	78° 21' 26.727" E	29° 55' 57.281" N
44	V-65	Uliyal	78° 20' 51.858" E	29° 56' 38.026" N
45	V-66	Jogiyanu	78° 21' 7.828" E	29° 57' 3.908" N
46	V-67	Bhumryasari	78° 20' 28.836" E	29° 57' 24.804" N
47	V-68	Banas Malla	78° 20' 45.657" E	29° 57' 34.386" N
48	V-69	Kasani	78° 20' 15.860" E	29° 57' 32.880" N
49	V-70	Basankhal	78° 19' 49.701" E	29° 57' 51.293" N
50	V-71	DUMGAON	78° 19' 40.414" E	29° 57' 56.528" N
51	V-72	Simalkhet	78° 19' 59.055" E	29° 57' 56.350" N
52	V-73	Kandakhol	78° 20' 23.415" E	29° 58' 9.671" N
53	V-74	Piranon Pakhon	78° 19' 56.737" E	29° 58' 58.339" N
54	V-75	Amkatal	78° 20' 0.404" E	29° 59' 13.384" N
55	V-76	Sanspuri	78° 20' 3.917" E	29° 59' 42.023" N
56	V-77	Nalani	78° 19' 35.009" E	30° 0' 7.358" N
57	V-78	Bandara	78° 19' 48.035" E	30° 0' 13.930" N

58	V-79	Satrak	78° 20' 3.463" E	30° 0' 7.406" N
59	V-80	Bukandi	78° 20' 27.242" E	30° 0' 33.456" N
60	V-81	Belwala	78° 19' 55.934" E	30° 0' 39.218" N
61	V-82	Silkoli	78° 20' 8.730" E	30° 0' 53.528" N
62	V-83	Teron	78° 20' 34.567" E	30° 1' 13.989" N
63	V-84	Sayanar	78° 20' 16.487" E	30° 1' 23.622" N
64	V-85	Ghorkatol	78° 20' 56.401" E	30° 1' 19.879" N
65	V-86	Dhaunsan	78° 20' 52.564" E	30° 1' 47.452" N
66	V-87	Bindyakhet	78° 20' 55.827" E	30° 2' 23.308" N
67	V-88	Mandi	78° 21' 11.827" E	30° 2' 29.624" N
68	V-89	Juledi	78° 21' 0.928" E	30° 3' 9.813" N
69	V-90	Diuli	78° 21' 6.771" E	30° 3' 39.655" N
70	V-91	Banstola	78° 20' 47.314" E	30° 3' 38.796" N
71	V-92	Khargosha	78° 20' 32.549" E	30° 3' 49.970" N
72	V-93	Kuthar	78° 20' 48.503" E	30° 4' 4.787" N
73	V-94	Bhaun	78° 20' 25.913" E	30° 4' 18.903" N
74	V-95	Nilkanth	78° 20' 27.800" E	30° 4' 52.419" N
75	V-96	Toli	78° 20' 34.569" E	30° 5' 7.422" N
76	V-97	Pundrasu	78° 20' 6.237" E	30° 5' 14.812" N
77	V-98	Amsaur	78° 21' 1.671" E	30° 5' 43.671" N
78	V-99	Manikot	78° 20' 56.135" E	30° 5' 59.870" N
79	V-100	Bhadasi	78° 21' 9.695" E	30° 5' 48.876" N
80	V-101	Moral	78° 21' 19.736" E	30° 5' 34.878" N
81	V-102	Simalkhet	78° 22' 24.855" E	30° 6' 2.069" N
82	V-103	Rattapani	78° 22' 58.537" E	30° 6' 18.306" N
83	V-104	Karondi	78° 23' 11.734" E	30° 5' 55.169" N
84	V-105	Gular Chatti	78° 23' 1.785" E	30° 5' 33.607" N
85	V-106	Seramala	78° 25' 53.304" E	30° 5' 9.375" N
86	V-107	Manjilgaon	78° 27' 17.765" E	30° 4' 34.133" N
87	V-108	Sirasu	78° 25' 52.226" E	30° 6' 35.960" N
88	V-109	Pulani	78° 24' 52.999" E	30° 6' 53.480" N
89	V-110	Kota	78° 24' 44.928" E	30° 7' 22.587" N
90	V-111	Bhatia	78° 25' 9.550" E	30° 8' 32.927" N
91	V-112	Tail	78° 24' 30.857" E	30° 8' 55.500" N
92	V-113	Phulari	78° 23' 57.206" E	30° 7' 8.772" N
93	V-114	Dhunargaon	78° 23' 21.543" E	30° 7' 10.482" N
94	V-115	Phul Chatti	78° 22' 45.700" E	30° 6' 53.787" N
95	V-116	Patna	78° 21' 55.586" E	30° 6' 39.694" N
96	V-117	Haldogi	78° 21' 31.082" E	30° 6' 30.356" N

Annexure –V

Performa of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of Meetings
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attach Minutes of the meeting as separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006.

   Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2018.05.24 14:18:20 +05'30'